कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/DCE/2034–73 दिनांक :: 17 अगस्त, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

सचिव ने अवगत कराया कि कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 22 मई, 2012 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठक दिनांक 22 मई 2012 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि कार्यवाही विवरण में अंकित प्रस्ताव संख्या 30 (13) एवं 30 (14) में वर्णित प्रकरणों में प्राधिकरण स्तर पर ही भू–उपयोग परिवर्तन के लिए निर्णय लिया गया है जबकि उक्त दोनों प्रकरणों में भण्डारण एवँ गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 एवं 25 फरवरी, 2011 के अनुसार प्राधिकरण स्तर पर निषेध किया गया है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों पर पुनः विचार आवश्यक है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावों के अलावा शेष बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: आवंटन/नीलामी से निस्तारित किये जाने वाले भूखण्डों पर देय पुनःग्रहण शुल्क के संबंध मे।

वसुली शाखा (पश्चिम) वर्तमान में निम्न प्रकार से आवंटन/नीलामी से निस्तारित किये जाने वाले भूखण्डो पर देय पुनः ग्र्रहण शुल्क के निम्न प्रकार से प्रकरण चिन्हित हुए है।

क्र.सं.	मूल आवंटी/क्रेता का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवंटन/नीलामी दिनांक	आदिन तक समय	विशेष विवरण
1	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कान्ति कुमार	31	पश्चिम पाल विस्तार ग्राम सुथला खसरा नं. 129	22.05.2002 नीलामी	10 वर्ष से अधिक	बेचान अनुमति हेतु प्राप्त
2	श्री राकेश	12	पश्चिम पाल	30.03.2002	10 वर्ष	बेचान अनुमति

	पुत्र श्री मगराज		विस्तार ग्राम सुथला खसरा न. 129	आवंटन	से अधिक	हेतु प्राप्त
3	श्री पारसमल व श्रीमती मोहन देवी	26	पश्चिम पाल विस्तार ग्राम सुथला खसरा न. 129	30.03.2002 आवंटन	10 वर्ष से अधिक	बेचान अनुमति हेतु प्राप्त
4	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री द्वीपचन्द	13	पश्चिम पाल विस्तार ग्राम सुथला खसरा न. 130	20.09.1999 नीलामी	12 वर्ष से अधिक	हस्तान्तरण हेतु प्राप्त
5	श्री दिनेश कुमार व श्रीमती कविता	63	पत्रकार कॉलोनी खसरा न. 702, 703, 704 व 727 ग्राम धौखा	30.10.2004 नीलामी	7 वर्ष से अधिक	लीजडीड हेतु प्राप्त
6	श्री नारायण राम पुत्र श्री घुनाराम	90	पत्रकार कॉलोनी खसरा न. 702, 703, 704 व 727 ग्राम धौखा	27.01.2005 नीलामी	7 वर्ष से अधिक	बेचान अनुमति

उपरोक्तानुसार भूखण्डो पर निर्माण कार्य नही होने से भौतिक रूप से रिक्त है। नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(993)/नविवि/3/2007 दिनांक 20.04.2011 के अनुसार योजनाओ में आवंटित भूखण्डो पर देय पुनर्ग्रहण शुल्क में छूट के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गये थे –

1– भूमि निस्तारण नियम–1974 के तहत आवंटन/नीलामी के निस्तारित किये जाने वाले प्रकरणों चाहे व विकसित क्षेत्र के हो अथवा अविकसित क्षेत्र के हो दोनो ही प्रकार के क्षेत्र में भवन निर्माण की अवधि आवंटन/नीलामी की दिनांक से 7 वर्ष के लिये दी जावें।

2– जिन भूखण्डो पर आवंटन/नीलामी की दिनांक से 7 वर्ष की अवधि में निर्माण नही हो पाया है एवं विशेष परिस्थितिया है तो ऐसे प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे। राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर पुनर्ग्रहण शुल्क लेकर अवधि बढ़ाने के लिये निर्णय ले सकेगी।

3– पुनर्ग्रहण शुल्क आवंटन/नीलामी की दिनांक को आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से देय होगी।

4– उक्त नियमो के दायरे में सहकारी समितियों की योजनाओं के भूखण्ड एवं निजी खातेदारी की योजनाओं के भूखण्ड भी शामिल होंगे। इनकी निर्माण की अवधि कॉलोनी के नियमन की तिथी से प्रारम्भ होगी। चूंकि उक्त दोनो प्रकार के भूखण्डो के संदर्भ में नियमन की 4 गुना को आरक्षित दर माना गया है। अतः ऐसे प्रकरणों में पुनर्ग्रहण शुल्क की गणना के समय नियमन दर को 4 गुना की ही आरक्षित दर माना जायेगा।

प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उक्त सभी प्रकरणों में पुनग्रहण की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार ही सक्षम है। अतः उपरोक्त प्रकरणों में राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजीव गांधी नगर योजना के भूखण्डों के प्रकरणों के संबंध में विचार विमर्श

1– राजीव गांधी नगर योजना में दिनांक 15.02.2010 को भूखण्डो के आवंटन हेतू लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने हेतू आवंटन पत्र जारी किये गये थे। आवंटी को आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसो में भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी आवश्यक थी। पश्चात् आगामी 60 दिवसो में आवंटी 15: वार्षिक ब्याज से राशि जमा करवा सकता था। ब्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथी से देय होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) (पप) के अनुसार उक्त स्वतः रद्द करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटी द्वारा भूमि के लागत की राशि और खण्ड एक में उपबंधित अनुसार ब्याज और शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है। उपरोक्तानुसार राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में निम्नानुसार प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआः–

क्रं. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक	एक वर्ष पश्चात् नियमित करने की शक्ति कार्यकारी समिति में निहित है
1	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मेहकाराम जांणी	जे–227, राजीव गांधी नगर	09.04.2010	07.07.2010	07.07.2011	7 जुलाई, 2012

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आवंटित भूखण्ड के स्वतःनिरस्तीकरण को रद्द करते हुए नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री शंकरलाल आवास संख्या 50, वाम्बे योजना के संबंध में ।

प्रार्थीनी को वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया में लॉटरी दिनांक 25.04.2006 को आवास संख्या 50 का आवंटन किया गया था, लेकिन आवंटन शाखा द्वारा आवंटन पत्र में आवास संख्या सी–50 अंकित कर आवंटन पत्र क्रमांक

एफ–46/आवंटन/07/5239 दिनांक 19.04.2007 का आवंटन पत्र जारी किया गया था। जबकि प्रार्थीनी को आवास संख्या 50 वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया में आवंटित किया गया हैं। प्रार्थी ने आवंटन पत्र में संशोधन कर पुनः आवंटन पत्र जारी करने की मांग की हैं, ताकि आवंटित आवास की राशि जमा कराई जा सकें। प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान प्रकरण के संबंध में यह स्पष्ट हुआ कि दिनांक 19 अप्रैल, 2007 को आवंटन–पत्र जारी किये जाने के पश्चात् आदिनांक तक आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं करायी गयी है। अतः प्रकरण में भूखण्ड संख्या में शुद्धि का निर्णय लेते हुए नियमन की अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: श्रीमती भीखी देवी पत्नि श्री गुलाबचन्द आवास संख्या सी–311 वाम्बे योजना चौखा

प्रार्थीनी को लॉटरी द्वारा दिनांक 25.04.2006 को आवास संख्या सी 311 वाम्बे योजना चौखा का आवंटन पत्र क्रमांक एफ–46/आवंटन/07/4977 दिनांक 10.04.2007 का जारी किया गया था। आवेदक श्री मनोज पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द ने अपनी माता की मृत्यु का प्रमाण–पत्र दिनांक 02.04.2006 का प्रस्तुत कर आवंटित आवास अपने नाम हस्तानन्तरण करते हुए राशि जमा कराने की मांग की हैं। प्रार्थी के नाम हस्तानन्तरण करने से पूर्व दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना का प्रकाशन करवा कर आवेदक श्री मनोज पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द के नाम हस्तानन्तरण करते हुए राशि जमा की जाने बाबत् प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में आवंटन–पत्र जारी किये जाने की दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के 5 वर्ष पश्चात् भी आवंटी के उत्तराधिकारियों द्वारा राशि जमा नहीं करायी गयी है। अतः नियमन की अनुशंषा करते हुए राज्य सरकार को प्रकरण स्वीकृति के लिए भिजवाया जावे। राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन के अनुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: आवासगृहों की राशि जमा कराये जाने के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि वाम्बे योजना चौखा, वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के आवंटित जिन आवास गृहों में प्रार्थी गणों द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई हैं, उन समस्त प्रकरणों को कार्यकारी समिति में रखा जा कर पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2011 के प्रस्ताव संख्या 1 (3) में लिये गये निर्णय अनुसार समस्त आवंटियों द्वारा बकाया राशि ब्याज व शास्ति सहित जमा करवाते हुए प्रकरण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् नियमितीकरण करने हेतु भेजा जावें। निम्न प्रकरणों में भी समिति के निर्णय अनुसार आवंटियों को सूचित किया जा चुका था, लेकिन राशि जमा नहीं करवाई गई हैं। शेष प्रकरणों की सूची निम्नलिखित हैं। प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुएः–

(i) बाम्बे योजना चौराहा में आवंटित आवास गृहों में राशि जमा नहीं होने की सूची

क्र. सं.	नाम	योजना	आवास संख्या	राशि जमा	आवंटन पत्र जारी तिथि	विवरण
1	श्री राजा उपाध्याय पुत्र श्री रामजीवन उपाध्याय	बाम्बे चौराहा	ए 88	जमा नहीं।	03.05.2008	दो वर्ष से अधिक समयावधि व्यतित हो चुकी है।
2	श्री गोविन्द राम पुत्र श्री लालुराम	बाम्बे चौराहा	ए 121	जमा नहीं।	05.05.2008	
3	श्री रणवीरसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह	बाम्बे चौराहा	ए 240	जमा नहीं।	12.05.2008	
4	श्री सोहनलाल पुत्र श्री श्यामसुन्दर	बाम्बे चौराहा	ए 255	जमा नहीं।	12.05.2008	दो वर्ष से अधिक समयावधि व्यतित हो चुकी है।
5	श्रीमति भीखी देवी पत्नि श्री तुलसीदास	बाम्बे चौराहा	बी 266	जमा नहीं।	03.05.2008	
6	श्रीमति विद्यादेवी पत्नि श्री गिरधारी राम	बाम्बे चौराहा	सी 77	जमा नहीं।	19.04.2007	
7	श्री छगनसिंह पुत्र श्री किसनसिंह	बाम्बे चौराहा	सी 84	जमा नहीं।	17.05.2008	
8	श्री श्यामलाल पुत्र श्री गुदडराम	बाम्बे चौराहा	सी 122	जमा नहीं।	06.03.2007	
9	श्री जबरसिंह भाटी पुत्र श्री भीमसिंह	बाम्बे चौराहा	सी 170	जमा नहीं।	11.04.2007	
10	श्री बाबुलाल पुत्र श्री किशनलाल	बाम्बे चौराहा	सी 216	जमा नहीं।	07.03.2007	
11	श्री तरूण पुत्र श्री आसनदास	बाम्बे चौराहा	सी 275	जमा नहीं।	10.04.2007	
12	श्रीमति संतोष देवी पत्नि श्री दुर्गालाल	बाम्बे चौराहा	सी 302	जमा नहीं।	07.03.2007	

(ii) बाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया में आवंटित आवास गृहों में राशि जमा नहीं होने की सूची

क्र. सं.	नाम	योजना	आवास संख्या	राशि जमा	आवंटन पत्र जारी तिथि	विवरण
1	श्री पुखराज पुत्र श्री केसाराम	बासनी तम्बोलिया	23	जमा नहीं।	20.04.2007	दो वर्ष से अधिक समयावधि व्यतित हो चुकी है।
2	श्री पीपाराम पुत्र श्री रेखाराम	बासनी तम्बोलिया	68	जमा नहीं।	17.05.2008	
3	श्री बोदाराम पुत्र श्री हापूराम	बासनी तम्बोलिया	59	जमा नहीं।	16.05.2008	

(iii) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया में आवंटित आवास गृहों में राशि जमा नहीं होने की सूची

क्र. सं.	नाम	योजना	आवास संख्या	राशि जमा	आवंटन पत्र जारी तिथि	विवरण
1	श्रीमति सुगन कंवर पत्नि स्व. श्री भोड़सिंह	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	14	जमा नहीं।	29.09.2009	दो वर्ष से अधिक समयावधि

2	श्री लोकेशसिंह सोलंकी पुत्र श्री लक्षमणसिंह सोलंकी	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	25	जमा नहीं।	29.09.2009	व्यतित हो चुकी हैं।
3	श्री बाबूलाल पुत्र श्री फूसाराम	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	113	जमा नहीं।	29.09.2009	
4	श्री हेमराज पुत्र श्री किस्तुर चन्द्र	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	224	जमा नहीं।	29.09.2009	
5	श्री जेताराम पुत्र श्री शिवराम	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	345	जमा नहीं।	29.09.2009	
6	श्री लखपतराज पुत्र श्री उगमराज	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	366	जमा नहीं।	29.09.2009	
7	श्री तारासिंह मीणा पुत्र श्री श्रीराम मीणा	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	375	जमा नहीं।	29.09.2009	दो वर्ष से अधिक समयावधि व्यतित हो चुकी हैं।
8	श्री रामगोपाल मीणा पुत्र श्री रामनाथ मीणा	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	391	जमा नहीं।	29.09.2009	
9	श्रीमति गेरी देवी पत्नि श्री मोतीराम	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर	392	जमा नहीं।	29.09.2009	

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत किये गये सभी प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित आवंटी को आवंटन के स्वतः निरस्तीकरण के संबंध में लिखित में अवगत कराया जावे और किसी आवंटी द्वारा स्वतः निरस्तीकरण रद्द कर नियमन किये जाने के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को नियमन के लिए भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: श्री तुलछाराम पटेल पुत्र श्री जोगाराम को वाम्बे योजना में आवासगृह आवंटन के संबंध में।

श्री तुलछाराम पटेल पुत्र श्री जोगाराम को वॉम्बे योजना ग्राम चौखा में लॉटरी द्वारा आवास गृह B–275 का लॉटरी दिनांक 25.04.06 को विकलांग वर्ग में एवं ए–150 ओबीसी वर्ग में आवंटन किया गया तथा आवेदक ने आवंटन पत्र जारी करने हेतु प्राधिकरण में निवेदन किया। जिस पर पत्रावली में कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा ए–150 आवास गृह की पत्रावली हुड़को शाखा से प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि ए–150 श्रीमति किरण पत्नी श्री गंगासिंह को आवंटन किया जा चुका है। तथा तुलछाराम पटेल को आवास गृह सं. बी–275 का आवंटन पत्र जारी करना बकाया है। इस हेतु ए–150 बिना प्राधिकार के आवंटन किया गया है। अतः बी–275 को आवंटन पत्र जारी करने एवं ए–150 के बारे में सक्षम स्तर से निर्णय लेना प्रस्तावित किया है। जिस पर उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये है। प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक को विकलांग के रूप में आवंटित आवासगृह संख्या बी–275 का आवंटन किया जावे एवं आवासगृह संख्या ए–150 जो श्रीमती किरण पत्नि श्री गंगासिंह को बिना

प्राधिकार के आवंटन किया जाना बताया गया है, के संबंध में उपायुक्त–पश्चिम स्वयं जॉच कर सुनिश्चितता कर लें कि श्रीमती किरण को किन आधार पर आवंटन–पत्र दिया गया है। यदि बिना किसी प्राधिकार के आवंटन–पत्र जारी किया गया हो तो आवंटन निरस्त किये जाने के लिए उपायुक्त–पश्चिम को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: **श्री गोविन्द कृष्ण पुत्र श्री नन्दकिशोर पारिक को राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या आई–786 आवंटन के संबंध में।**

श्री गोविन्द कृष्ण पुत्र श्री नन्दकिशोर पारीक को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. I–786 (6 x 15) = 90 वर्गमीटर लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को आवंटन किया गया। सम्बन्धित का फॉर्म कम्प्यूटर के द्वारा दो जगह फार्मे न. 61003 को आवंटन बताया गया तथा इसी फार्म को 61093 को असफल मानते हुए जमा राशि का रिफण्ड कर दिया गया था। ततपश्चात् सम्बन्धित आवंटी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. I–786 का आवंटन पत्र व लीज डीड की मांग की गयी। यह प्रकरण माननीय विधायक रूपाराम डूडी अतांराकित प्रश्न विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। जिसके प्रति उत्तर में सम्बन्धित को भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी करने व राशि जमा कराने बाबत् कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिस पर सम्बन्धित आवेदक को पत्रांक 10 दिनांक 11.04.12 के द्वारा उक्त भूखण्ड की राशि जमा कराने हेतु पत्र भेजा गया जिस पर उन्होंने प्राधिकरण में रसीद संख्या 9001/44936 दिनांक 20.04.12 के दौरान भूखण्ड की राशि 91900 रूपयें जमा करा दिये। तथा आवंटन पत्र जारी करने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया। जिस पर उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये है। प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवंटी श्री गोविन्द कृष्ण को आवंटन–पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: **करणी डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्सन कम्पनी को ग्राम गैवा के खसरा संख्या 638 में खण्डरनूमा दीवार गोद दिये जाने की अवधि बढाने के संबंध में।**

करनी डॅवलपमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी के पत्रांक 28.05.12 के द्वारा खण्डरनूमा दीवार खसरा न. 638 ग्राम गेवा एवं इको फ्रेडली टूरिजम यूनिट के पास तत्कालीन न्यास द्वारा 25.11.2006 को 5 वर्ष के लिए गोद दी गयी थी। करनी डॅवलपमेन्ट ने उक्त गोद अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही खण्डरनूमा मन्दिर जो रख–रखाव, जीणोद्वार एवं पुजा–पाठ हेतु गोद दिया गया था, के गोद अवधि आगामी 10 वर्षो बढ़ाने हेतु निवेदन किया। तथा उक्त मन्दिर को दिशा के अनुसार पुनः स्थापित करने की अनुमति चाही है। चुंकि उक्त दोनो अनुबन्ध न्यास स्तर पर किये गये थे, अतः सक्षम स्तर से ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। जिस पर उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में रखने हेतु निर्देश दिये गये है। प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तालाब, तालाब की पाल की भूमि पर विधिक रूप से अन्य कोई गतिविधियों अनुमत नहीं की जा सकती है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर दुर्ग से बालसमंद रावटी – सूरसागर मुख्य सडक जोडने हेतु सडक के संबंध में।

जोधपुर दुर्ग से बालसमंद रावटी–सुरसागर मुख्य सड़क जोड़ने हेतु 2.3 किलो मीटर सड़क प्रस्तावित की गई है। सड़क वनखण्ड देवकुण्ड में से गुजरेगी। वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा जोधपुर वन विभाग को भेजे जा चुके है। इस सड़क मार्ग की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार 80 फीट है। परन्तु वन क्षेत्र होने के कारण प्रथम चरण में सडक की चौडाई 60 फीट रखी गई है एवं 7.5 मीटर का कैरीज–वे रखा गया है।

उक्त सड़क मार्ग के निर्माण से मण्डोर, नागौर बीकानेर एवं जैसलमेर से आने वाले भारी वाहन बालसमन्द मार्ग से सीधे पर्यटक स्थल जोधपुर दुर्ग जा पाएगा। भारी वाहन जो शहरी क्षेत्र सूरसागर एवं नागौरी गेट से होकर दुर्ग जाते थे वे सभी इस वैकल्पीक मार्ग से आ जा सकेंगे। इससे शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से निजात मिलेगी। शहर के भीतरी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को शहर से बाहर मण्डोर, नागौर मार्ग तक आने–जाने में सीधी सुविधा उपलब्ध होगी। इस मार्ग के निर्माण हेतु कुल 10 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में प्रस्तावित कार्य के लिए सशर्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि स्वीकृति में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि यह स्वीकृति पर्यावरण व वन विभाग के अधिकारियों की समुचित अनुमति (क्लीयरेंस) के पश्चात् ही प्रभावी होगी।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 746 में विकसित योजना में राजकीय भूमि आवंटन करने के संबंध में।

खसरा नं0 746 ग्राम गेंवा में स्वीकृत टाऊन शिप का क्षेत्रफल 29.11 बीघा है। श्रीमती राजकौर के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संख्या 3494/05 का दिनांक 5/4/05 को इस टाऊन शिप का 90–बी का निर्णय किया गया था तथा दिनांक 5/4/05 को ही इस योजना का वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर द्वारा ले–आऊट प्लान पारित किया गया था। ले–आऊट प्लान पारित करने से पूर्व राजस्व नक्शे से सुपर इम्पोज नही कराया गया था। इस योजना का कुल क्षेत्रफल 57293 वर्गगज अर्थात् 48238 वर्गमीटर था। इस योजना के लगभग सभी पट्टे जारी हो चुके है, सड़क आदि का निर्माण हो गया है तथा 2 मकान निर्मित है तथा 2 मकान अर्द्धनिर्मित है। श्रीमती राजकौर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त योजना में खसरा नं0 746, 741 व 741/1 की कुल भूमि है, जिसमें 29 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी भूमि एवं 3 बीघा 10 बिस्वा राजकीय भूमि रही है। उक्त ले–आऊट प्लान में कुल 202 भूखण्ड है जिनमें से 195 भूखण्डों के पट्टे विलेख जारी हो चुके है तथा उनकी लीज डीड भी सम्पादित की जा चुकी है। उक्त ले–आऊट प्लान में सम्मिलित कुल 2 बीघा 1 बिस्वा राजकीय भूमि पर 30 आवासीय

भूखण्ड है, सभी 30 भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी किए जा चुके है। राजकीय भूमि पर जिन भूखण्डों के पट्टे विलेख जारी किए गए है उनमें कृषि भूमि नियमन दर से राशि जमा करवाई गई है। 7 भूखण्डों के पट्टा विलेख खातेदारी भूमि में जारी करने शेष है। जो मानचित्र में समाहित है। मानचित्र में बची हुई खातेदारी भूमि का ले–आऊट प्लान अनुमोदित कर पट्टा विलेख बनने भी शेष है।

श्रीमती राज कंवर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जो भूखण्ड राजकीय भूमि में हैं, उनकी राशि इस क्षेत्र की आरक्षित दर से नियमानुसार मैं जमा करवाने में सहमत हूँ। कृपया राशि जमा कराने के आदेश करवा कर मुझे अनुग्रहित करावें। योजना में सम्मिलित राजकीय भूमि एवं अन्य विवरण संलग्न मानचित्र में विभिन्न रंगों से दर्शा दिया है। अब योजना के मानचित्र का राजस्व नक्शे से सुपर इम्पोज कराने पर टाऊट शिप के अन्दर 13565 वर्गगज अर्थात् 11342 वर्गमीटर क्षेत्रफल खसरा नं0 741 का भाग आता है। खसरा नं0 741 पूर्व में गै. मु. बाला था जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नगर विकास न्यास को सेट अपार्ट किया था, उस समय दर्ज किए गये नामान्तकरण में गैर मु. आबादी दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 741 गै. मु. आबादी नगर विकास न्यास वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

योजना का कुल क्षेत्रफल 29.16 बीघा अर्थात् 48238 वर्ग मीटर है। योजना में 11342 वर्गमीटर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है। यह भूमि कुल योजना क्षेत्र का 23.51 प्रतिशत है। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी टाऊन शिप पॉलिसी नोटिफिकेशन क्रमांक F-3(77) UDD/3/2010 दिनांक 28/6/2010 (10 हेक्टर तक) के पैरा संख्या 13(5) के अनुसार टाऊनशिपि क्षेत्र में यदि राजकीय भूमि है एवं वह कुल योजना क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत तक है तो स्थानीय निकाय स्तर पर एवं यदि राजकीय भूमि 10 प्रतिशत से अधिक है तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से डवलेपर को आवंटित की जा सकेगी। यह भूमि आरक्षित मूल्य या डी.एल.सी. दर दोनों में से जो भी अधिक हो की दर पर आवंटित की जायेगी। इस योजना क्षेत्र में राजकीय भूमि कुल योजना क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक है। अतः राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

1– प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग जयपुर को प्राधिकरण के पत्र 534 दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को प्रेषित किया गया था। उप शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र संख्या प.3(1157)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 प्राप्त हुआ जिसमे गोपीकृष्ण विहार व वृन्दावन विहार योजना मे सम्मलित राजकीय भूमि के सम्बन्ध मे दिये गये दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2– प्राधिकरण द्वारा ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 746 के सम्बन्ध मे ले–आऊट प्लान के आधार पर लीज डीड जारी करने, बेचान अनुमति जारी करने, हस्तान्तरण अनापत्ति प्रमाण पत्र, निर्माण स्वीकृति एवं अन्य संबंधित कार्यवाही पर तुरन्त प्रभाव से कार्यालय आदेश एफ 49/डी.सी. पश्चिम/09/203 से 208 दिनांक 01/01/2010 को रोक लगाई गई थी।

अतः बिन्दु संख्या 1 व 2 कार्यकारिणी समिति की बैठक मे निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरणों में तथ्यों एवं कानूनी स्थिति की गहनता से जॉच करने व समुचित निर्णय लेने हेतु निदेशक–आयोजना की अध्यक्षता में समिति गठित की जावे। समिति में निदेशक–वित्त, निदेशक–विधि, उपायुक्त–पश्चिम, संबंधित जोन अधिशाषी अभियन्ता एव जोन तहसीलदार सदस्य के रूप में रहेंगे। उक्त समिति अपनी बैठक आयोजित कर समुचित निर्णय कर आयुक्त, प्राधिकरण को अवगत करायेगी।

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम गँवा के खसरा संख्या 60 व 61/1 की अतिरिक्त भूमि के संबंध में।

श्रीमती सलमा नाजिक द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत ग्राम चौखा के खसरा संख्या 60 रकबा 9.03 बीघा व खसरा संख्या 60/1 रकबा 11.03 बीघा का ले–आऊट प्लान नियमन हेतु प्रस्तुत किया गया। पटवारी/अमीन की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चौखा के खसरा नं0 60 रकबा 9.03 बीघा व खसरा नं0 60/1 रकबा 11.02 बीघा कुल रकबा 20.05 बीघा खातेदारी भूमि जमाबंदी अनुसार है तथा मानचित्र (ले–आऊट प्लान) में खसरा नं0 60 व 60/1 रकबा 20.05 बीघा खातेदारी भूमि के अतिरिक्त भूमि खसरा नं0 61 रकबा 7.19 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण तत्कालीन नगर सुधार न्यास के खाते मे 1997.03 बीघा आयी हुई जिसमें उक्त अतिरिक्त भूमि 7.19 बीघा सम्मिलित भूमि है। मौके पर खातेदारों द्वारा आवासीय प्लांट एवं सड़क सुविधा इत्यादि है तथा कुल 28.04 बीघा भूमि की मौके पर चार दिवारी बनाकर कब्जा/ अतिक्रमण है।

खसरा नं0 60 व 60/1 रकबा 20.05 बीघा के अतिरिक्त भूमि खसरा नं0 61 मे 7.19 बीघा भूमि जो तत्कालीन नगर सुधार न्यास वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है। निदेशक आयोजना शाखा/तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा संख्या 60 व 60/1 रकबा 20.05 बीघा भूमि के साथ–साथ प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर योजना के खसरा नं0 61 की रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर मकानात, बगीचा, टिन शेड एवं चार दिवारी बनी हुई। उक्त भूमि राजीव गांधी नगर योजना के पास मे है। प्रकरण मे टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नियमन हेतु प्रस्तुत हुआ है। उप शासन सचिव नगरीय विकास विभाग जयपुर को प्राधिकरण पत्रांक 1915 दिनांक 31/10/2011 को प्रेषित किया गया। जिसके संबंध मे उप शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 3(330)नविवि/3/ 2011 जयपुर दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के अनुसार मूल पत्रावली मय टिप्पणी भिजवाने हेतु निदेश है। प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक मे निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजकीय भूमि पर मकानात, बगीचा, टीन शेड व चार दीवारी निर्मित है। अतः उपायुक्त–पश्चिम टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधानों के अनुसार नियमन हेतु पुनः परीक्षण करें। यदि प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जावे तो राजकीय भूमि पर बने मकानात, बगीचा, टीन शैड, चार दीवारी व अन्य अतिकमण को हटाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या 13 :: टाटा टर्बो ट्रक की किराये पर वार्षिक आपूर्ति के संबंध में।

प्राधिकरण में टाटा एस.एफ.सी. 709 ई.एम्स टर्बो ट्रक की किराये पर वार्षिक आपूर्ति संविदा के तहत निविदा संख्या 63/2011–12 दिनांक 21 फरवरी, 2012 को जारी कर निविदा दिनांक 5 मार्च, 2012 को बेची जाकर दिनांक 6 मार्च, 2012 को तीन निविदाएं प्राप्त की गई, जिसके अन्तर्गत मैसर्स सुगना देवी की सबसे न्यूनतम दर 1500 किलोमीटर चलने पर 14,900/– व अतिरिक्त किलोमीटर चलने पर 19/– रूपये प्रति किलोमीटर की दर प्राप्त की गई। कमेटी के नेगोशिएशन पत्र कमांक 388 दिनांक 20 मार्च, 2012 की अनुपालना में मैसर्स सुगना देवी ने मासिक दर 14,900/– रूपये की यथावत् रखते हुए अतिरिक्त किलोमीटर की दर में 10 पैसे कम करके 18.90 रूपये प्रति किलोमीटर की दर प्रस्तुत की गई तत्पश्चात् कमेटी द्वारा पत्र कमांक 440 दिनांक 14 मई, 2012 के द्वारा 14,900/– रूपये प्रतिमाह व अतिरिक्त किलोमीटर पर 10/– रूपये की दर से काउण्टर ऑफर रेट संवेदक को दी गई। इसकी पालना में संवेदक द्वारा मासिक दर 14,900/– यथावत् रखते हुए अतिरिक्त किलोमीटर की दर 12/– रूपये प्रति किलोमीटर पर वाहन उपलब्ध करवाने की सहमति प्रस्तुत की है।

उक्त निविदा को प्रकिया में रहते हुए तीन माह से अधिक समय व्यतीत होने पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कार्यकारी समिति में निहित है। अतः इसकी सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: **सुश्री विजयलक्ष्मी को राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ–118 आवंटन करने के संबंध में।**

सुश्री विजयलक्ष्मी पुत्री श्री अम्बालाल सारस्वत द्वारा राजीव गांधी आवासीय योजना जोधपुर में आवेदन पत्र (फार्म) सं. 62846 में आय वर्ग 30,001 से 45,000 मासिक आय वर्ग में चिन्हित कर आवेदन किया है। जिस पर राजीव गांधी आवासीय योजना की लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को निकाली गई, जिसमें भूखण्ड सं. एफ–118 (12 ग 5) त्र 275 वर्गमीटर सामान्य वर्ग में आवंटन हुआ। आवेदिका द्वारा आय प्रमाण पत्र में 30300/– रूपयें का आय प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य रा.उ.मा. विद्यालय चैनपुरा जोधपुर का संलग्न किया है। आय के बारे में सम्बन्धित से जानकारी चाहने पर आवेदिका स्वयं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर पंचायत समिति मण्डोर जोधपुर ने कार्यरत होने एवं आय प्रमाण पत्र 11507/– रूपयें का प्रस्तुत किया है। तथा अन्य आय कृषि योग्य भूमि सिंचित है जिससे मुख्य आय अर्जित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्राधिकरण के पत्रांक 241 दिनांक 15.09.2011 के द्वारा सम्बन्धित से उक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र में राजकर्मचारी का अंकन नहीं करने का कारण स्पष्ट चाहा है। तथा वेतन के अलावा आय कृषि से होने से सम्मिलित आय का आयकर वर्ष 2009–10 का रिटर्न प्रमाण पत्र चाहा गया था। जो अप्राप्त है। आवेदिका ने सम्मिलित आय का शपथ पत्र एवं भूमि की जमाबन्दी में पिताजी का राजस्व रिकार्ड में नाम बालाराम पुत्र श्री रूपाराम दर्ज हैं, एवं मेरे समस्त असल दस्तावेजो में मेरे पिताजी का नाम अम्बालाल पुत्र श्री रूपाराम दज का शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। निर्देशानुसार उक्त पत्रावली में कार्यकारिणी समिति में निर्णय हेतु प्रस्तावित किया है। प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–पश्चिम स्वयं के स्तर पर आवेदिका की सकल आय के संबंध में जांच कर सुनिश्चित करें कि आवेदक आवेदित आय वर्ग के भूखण्ड के लिए पात्र है या नहीं। यदि आवेदिका आवंटन के पात्र हो तो आवंटन–पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्रीमती गीता देवी को राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए–360 आवंटन करने के संबंध में।

श्रीमति गीता देवी पुत्री श्री अम्बालाल सारस्वत द्वारा राजीव गांधी आवासीय योजना जोधपुर में आवेदन पत्र (फार्म) सं. 62845 में आय वर्ग 30,001 से 45,000 मासिक आय वर्ग में चिन्हित कर आवेदन किया है। जिस पर राजीव गांधी आवासीय योजना की लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को निकाली गई, जिसमें भूखण्ड सं. ए–360 (12 ग 5) त्र 275 वर्गमीटर सामान्य वर्ग में आवंटन हुआ। आवेदिका द्वारा आय प्रमाण पत्र में 30500/– रूपयें का आय प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य रा.उ.मा. विद्यालय चैनपुरा जोधपुर का संलग्न किया है। आय के बारे में सम्बन्धित से जानकारी चाहने पर आवेदिका स्वयं अध्यापिका के पद पर रा.उ.मा. विद्यालय सांसी कॉलोनी, जोधपुर ने कार्यरत होने एवं आय प्रमाण पत्र 20,013/– रूपयें का प्रस्तुत किया है। तथा अन्य आय कृषि योग्य भूमि सिंचित है जिससे मुख्य आय अर्जित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्राधिकरण के पत्रांक 410 दिनांक 17.11.2011 के द्वारा सम्बन्धित से उक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र में राजकर्मचारी का अंकन नहीं करने का कारण स्पष्ट चाहा है। तथा वेतन के अलावा आय कृषि से होने से सम्मिलित आय का आयकर वर्ष 2009–10 का रिटर्न प्रमाण पत्र चाहा गया था। जो अप्राप्त है। आवेदिका ने सम्मिलित आय का शपथ पत्र एवं भूमि की जमाबन्दी में पिताजी का राजस्व रिकार्ड में नाम बालाराम पुत्र श्री रूपाराम दर्ज हैं, एवं मेरे समस्त असल दस्तावेजो में मेरे पिताजी का नाम अम्बालाल पुत्र श्री रूपाराम दज का शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। निर्देशानुसार उक्त पत्रावली में कार्यकारिणी समिति में निर्णय हेतु प्रस्तावित किया है। प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–पश्चिम स्वयं के स्तर पर आवेदिका की सकल आय के संबंध में जांच कर सुनिश्चित करें कि आवेदक आवेदित आय वर्ग के भूखण्ड के लिए पात्र है या नहीं। यदि आवेदिका आवंटन के पात्र हो तो आवंटन–पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: विभिन्न दरों के संबंध में।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 के प्रस्ताव संख्या 34 में राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 20 मई, 2011 में प्रकाशित जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भवन विनियमों के संबंध में अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2011 को परिशिष्ट–3 पर संलग्न करते हुए उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों/संशोधनों को जोधपुर विकास प्राधिकरण में लागू करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही प्रस्ताव संख्या 35 में जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन विनियम, 2010) के पृष्ठ संख्या 100 की दाया प्रति को परिशिष्टि–4 पर संलग्न करते हुए विभिन्न शुल्क के संबंध में अंकित दरें प्राधिकरण में लागू करने का निर्णय लिया गया।

उक्त कार्यवाही विवरण के परिशिष्ट–4 पर शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों के उप विभाजन एवं पुनर्गठन के लिए राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975 के तहत पुनर्गठन हेतु 50/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क लिया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि परिशिष्ट–3 में भूखण्डों के पुनर्गठन हेतु 100/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क लिया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो विरोधाभासीय है।

साथ ही शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन के लिए राजस्थान शहरी क्षेत्र (उपविभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975 के तहत वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनार्थ भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन के लिए क्या शुल्क वसूल किया जाना है, यह स्पष्ट नहीं हैं।

अतः शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन के लिए राजस्थान शहरी क्षेत्र (उपविभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975 के तहत वाणिज्यिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्डों के पुनर्गठन एवं उपविभाजन हेतु शुल्क का निर्धारण किया जाने एवं परिशिष्ट–3 व परिशिष्ट–4 पर उल्लेखित भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन हेतु निर्धारित दरों में संशोधन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त प्रकार के उपयोगों के भूखण्डों के पुनर्गठन के लिए 100/– रूपये प्रति वर्ग मीटर तथा उप विभाजन के लिए 50/– प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: **ग्रीन गेट चौराहा से सरदार क्लब होते हुए वायु सेना पुलिस कार्यालय चौराह तक सडक चौडा किया जाने का कार्य। (कार्यादेश संख्या एफ.38 (17) ईई/पूर्व/2009–10) कार्यकारी एजेन्सी मैसर्स छगनीराम गहलोत**

उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृती मूल रू. 78.00 लाख की थी। कार्य का कार्यादेश रू. 54,72,615.00 का दिया गया। कार्य शुरू करने की तारीख 12.09.2009 एवं पूर्ण करने की तारीख 11.03.2010 थी संवेदक द्वारा पूर्व जारी कार्यादेश के तहत रू. 53.57 का कार्य कर दिया गया।

कार्य अपूर्ण होने के कारण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृती रू.87.00 लाख की जारी की गई एवं संवेदक को प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृती सीमा तक कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया। लेकिन संवेदक द्वारा आगे कार्य नही करने का पत्र दिया एवं अंतिम बिल की मांग की।

मौके पर द्वारा मौक पर संवेदक द्वारा किये गये कार्य का माप कर अतिंम बिल बना दिया गया। चूकिं शेष कार्य नही हुआ अतः निविदा आमंत्रित कर कार्य करवाने के निर्देश दिये गये। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्य का कार्यादेश दिया जा चुका है। शेष कार्य के लिये पूर्व में दिये गये निर्देशों के तहत संवेदक के खर्चे से कराए जाने का निर्णय किया गया। इस बाबत् संवेदक ने पत्र देकर मांग की है कि उसने कार्यादेश राशि रू. 54.72 लाख के विरूद्ध 53.57 लाख का कार्य कर दिया गया है। इस बाबत् पुनः विचार करावे एवं संवेदक के खर्चे पर कार्य का आदेश निरस्त हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिक की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति में निदेशक–वित्त एवं संबंधित अधिशाषी अभियन्ता सदस्य होंगे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

अध्यक्ष, किसान संघर्ष समिति सांगरिया कुडी भगतासनी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्डों के ऊपर से गुजर रही हाईटेशन लाईन को स्थानान्तरित करवाने करवाने, सीवर लाईन सडक पर स्थानान्तरित करने, गढ्ढों की मरम्मत करवाने व अन्य विकास कार्य करवाने की मांग की गयी है। इस संबंध में कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विवेक विहार आवासीय योजना में उच्च क्षमता की विधुत लाईनों को शिफट किये जाने के लिए 14.00 करोड रूपये की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे एवं प्रथम किश्त के रूप में राजस्थान राज्य विधुत वितरण निगम लिमिटेड को 8.00 करोड रूपये की राशि हस्तान्तरित की जावे। साथ ही इस योजना अन्तर्गत सिविर लाईन डाली जाने के कार्य को भी स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अन्तर्गत चिन्हित भूमि पर कनवेन्सन सेंटर बनाये जाने के लिए जन सहभागी योजना (पी.पी.पी.) आधार पर प्रस्तावित आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अन्तर्गत सडक निर्माण व नाला निर्माण के संवेदकों द्वारा अनुमत गहराई से अधिक गहराई से निकाली गई मिटटी के लिए वसूली करने का निर्णय लिया गया तथा 6 ईंच से अधिक गहरे गढढों को भरने के लिए कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: "शेडयूल ऑफ पॉवर" में संशोधन के प्रस्ताव

(अ) 1.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत के कार्य
(ब) भुगतान प्रक्रिया

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 1.00 करोड से अधिक लागत राशि के कार्य की स्वीकृति, निविदा स्वीकृति आदि आयुक्त, प्राधिकरण की स्वीकृति के पश्चात् अनुमति हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जावे। गुणवत्ता संबंधी शिकायत होने अथवा अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय/सचिव/निदेशक–अभियांत्रिक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर 25.00 लाख रूपये से अधिक लागत वाले कार्यों के संबंध में गुणवत्ता रिपोर्ट एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज, जोधपुर की प्रयोगशाला एवं टीम से भी कराये जाने के पश्चात् भुगतान किया जावे। 25.00 लाख रूपये से कम लागत वाले कार्यों में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता गुणवत्ता संबंधी प्रमाण–पत्र तथा प्राधिकरण की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जावे। शिड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन के लिए सचिव, निदेशक वित्त एवं निदेशक–अभियांत्रिक की समिति गठित की जाकर निर्देश दिये कि आगामी बैठक से पूर्व समुचित संशोधन के प्रस्ताव आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित प्रकरण

प्रस्ताव संख्या 20 (1) :: राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090–25 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री गैनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह गहलोत साकिन लाला का बेरा, मण्डोर, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 185/2010

आवेदक श्री गैनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह गहलोत साकिन लाला का बेरा, मण्डोर, जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090–25 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्त के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 13 मार्च, 2011 को दो स्थानीय समाचार–पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090–25 वर्ग मीटर का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) का प्रकरण है। उक्त भूखण्ड का जोधपुर मास्टर प्लान – 2023 अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (ओ.सी.एफ.) एवँ आवासीय क्षेत्र में आरक्षित हैं।

इस कार्यालय के पत्र कमांक 130 दिनांक 2 अप्रैल, 2012 द्वारा जिला कलक्टर, जोधपुर को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में आवेदक ने स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में कार्यालय जिलाधीश, जोधपुर के कार्यालय आदेश कमांक प.12 (1) 2 (1) /7/राजस्व/78/1335–42 दिनांक 29 मार्च, 1978 की प्रति व लीज डीड की प्रति संलग्न की है। अतः इस संबंध में सहमति/असहमति से इस कार्यालय को सूचित करावें। पटवारी राजस्व की रिपोर्ट दिनांक 4 जुलाई, 2011 के अनुसार राजस्व रेकार्ड में ख. सं. 2085/378 रकबा 01–06 बीघा किस्म गैर मुमकिन लगान 1.00 रूपये ग्राम मण्डोर द्वितीय के खाता संख्या 406 में गेनसिंह पि. गोरधनसिंह जाति माली सा. लाला बेरा (99 वर्ष हेतु आवंटन) गैर खातेदार दर्ज है।

अपर जिला कलक्टर, जोधपुर ने पत्र कमांक राजस्व/2012/864 दिनांक 9 फरवरी, 2012 द्वारा इस कार्यालय को नियमानुसार समस्त परीक्षण आदि कर विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलक्टर कार्यालय से प्रकरण का संपूर्ण परीक्षण कर विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। अतः आवेदित भूमि के स्वामित्व की जॉच करने के संबंध में उपायुक्त–उत्तर, निदेशक–विधि एवं संबंधित तहसीलदार की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति की आवेदित भूमि के स्वामित्व एवँ राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये आवॅटन पत्र की शर्तों की अनुपालना की स्थिति का परीक्षण करेगी।

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबंध में उपायुक्त–उत्तर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 20 (2) : राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 583 रकबा 5851.67 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र से रिसोर्ट (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री दलपतसिंह भण्डारी, श्री लखपत भण्डारी, श्री अमित भण्डारी, श्री धर्मेन्द्र भण्डारी व श्री सुरेन्द्र भण्डारी निवासी 173, पालो द्वितीय पावटा, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 129/2010

आवेदक श्री दलपत भण्डारी वगैरह ने राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 583 में 5851.67 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र से रिसोर्ट (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दिनांक 3 जून, 2012 को करवाया गया। जिसके क्रम में चैयरमैन एवं सचिव, लीगल सोसायटी, मंदिर व मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर ने आपत्ति प्रस्तुत की है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 583 का मास्टर प्लान के अनुसार भू–उपयोग अन्य सामुदायिक सुविधाएं आरक्षित है। खसरा संख्या 583 मुख्य मण्डोर नागौर सडक के पूर्व – दक्षिण दिशा में स्थित है। जिसके पश्चिम दिशा में 80 फीट चौडी सडक व पूर्व दिशा में 100 फीट सडक जो लालसागर सडक कहलाती है, निकल रही है तथा उत्तर दिशा में मुख्य नागौर सडक विद्यमान है। जिसमें खसरा संख्या 583 कई भूखण्ड काट रखे है।

आवेदित भूमि अन्य सुविधा क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार की अधिकारिता में आता है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को इस टिप्पणी के साथ भिजवाया जावे कि भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 व नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार समुचित निर्णय लिया जावे। राज्य सरकार से यह मार्गदर्शन भी लिया जावे कि नियम, 2010 कृषि भूमि के मामलों में लागू होंगे या नहीं? तथा यदि नहीं तो मास्टर प्लान में सम्मिलित कृषि भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के मामलों को किन नियमों के तहत निस्तारित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 (3) : राजस्व ग्राम पाल में औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्राप्त भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के संबंध में।

राजस्व ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी) में औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन हेतु प्राप्त निम्नलिखित प्रकरण वर्तमान में लम्बित चल रहे हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं	प्रकरण संख्या	वर्ष	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण	आवेदित क्षेत्रफल	वर्तमान भू–उपयोग
1	111	10	श्री प्रकाश बागरेचा पुत्र श्री बख्तावर मल जी निवासी 2/3, पोलो द्वितीय, पावटा, जोधपुर	खसरा संख्या 468/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1560.37 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
2	112	10	श्रीमती ममता देवी पत्नि श्री रमेश जैन निवासी 2/3 पोलो द्वितीय, पावटा, जोधपर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1582.31 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
3	113	10	श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री बख्तावर मल निवासी 2/3	खसरा संख्या 292/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1672.22 वर्ग मीटर	आवासीय
4	133	10	सनसिटी होर्डिंग एण्ड ट्रैडिंग लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 26/28, मुम्बई व प्रशासनिक कार्यालय मार्फत अधिकृत संचालक श्री राजीव भण्डारी पुत्र श्री रूपचन्द भण्डारी ई–42, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 497 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2 बीघा 4 बिस्वा 12 बिस्वांशी	शैक्षणिक (कॉलेज)
5	141	10	श्री सोनाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1579.92 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
6	142	10	श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री सुखदेव निवासी 1प12 मधुबन कॉलोनी, जोाध्पुर	खसरा संख्या 467 पाल (धिनाणा की ढाणी)	1712.33 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
7	143	10	श्री पवित्र पुत्र श्री जेठमल, श्रीमती मंजू पत्नि श्री जेठमल गुलेच्छा निवासी 269 चौथी बी रोड, सरदारपुरा	खसरा संख्या 468/1, 470 पाल (धिनाणा की ढाणी)	2469.44 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
8	144	10	श्री अनिल गोलेच्छा पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जी–73, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2523.45 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
9	145	10	श्री अनिल कुमार बोथ्रा पुत्र श्री नानक दास निवासी 218, नरपत नगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2322.22 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
10	146	10	श्री कल्पित बोथरा पुत्र श्री जसराज निवासी 218, नरपतनगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 467, पाल (धिनाणा की ढाणी)	1988.88 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)

11	147	10	श्री गोपाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, पाल, जोधपुर	खसरा सख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1888 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
12	148	10	श्रीमती पुष्पा चुगलानी पत्नि श्री रमेश चुगलानी निवासी 1अ14 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	3607.3 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
13	149	10	श्री संदीप गोलेच्छा पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जी–73, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 468/1, 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2538.88 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
14	150	10	श्री जसराम पुत्र श्री नानक दास बोथरा निवासी 218, नरपत नगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2607.22 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
15	151	10	श्री ओमाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, जोधपुर	खसरा सख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1888.88 वर्गगज	शैक्षणिक (कॉलेज)
16	152	10	श्रीमती मंजू सालेचा पत्नि श्री पदम सालेचा निवासी पारख पेट्रौल पम्प के पीछे, पावटा बी रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2111.11 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
17	154	10	श्री संदीप सोलंकी पुत्र श्री नरपत चन्द निवासी 235, प्रथम फेज, सांगरिया, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	507.50 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
18	155	10	श्री प्रमोद कमार पुत्र श्री मोहन राज चौपडा निवासी भगवान महावीर नगर पाल लिंक रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1192.12 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
19	156	10	श्री राजेश डागा पुत्र श्री जवरी मल निवासी वाचनालय के पास, आडा बाजार, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	451.38 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
20	157	10	श्रीमती दौलत कंवर पत्नि श्री टी. पारसमल चौधरी निवासी दवे कॉम्प्लेक्स, 144/सीएएससी बोस रोड, चैन्नई हाल निवासी पावटा पालो जोधपुर	खसरा संख्या 468/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2029.44 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
21	158	10	श्री कुलसुम बानो पत्नि श्री अब्दुल मजीद व श्रीमती फरजाना पत्नि श्री मोहम्मद अनवर निवासी नई सडक, जोधपुर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1933.93 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
22	159	10	श्रीमती वीणा धनाडिया पत्नि श्री नन्दकिशोर निवासी धिनाणा की	खसरा संख्या 470, 467 ग्राम पाल (धिनाणा की	2129.29 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)

			ढाणी, जोधपुर	ढाणी)		

उपरोक्त अधिकांश प्रकरणों में मौके पर औद्योगिक इकाईयॉ संचालित हो रही है। औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन हेतु न्यूनतम 60 फीट सडक मार्ग आवश्यक है। प्रार्थीगणों ने आवेदित भूमि के सामने सडक की चौडाई 60 फीट सुनिश्चित करने हेतु आवेदित भूमि में से भूमि समर्पित करने हेतु सहमति प्रदान की है। आवेदित प्रकरणें में वर्तमान मास्टर प्लान के अनुसार शैक्षणिक (कॉलेज) से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन चाहा गया है, जो प्राधिकरण स्तर पर अनुज्ञेय नहीं है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार की अनुमति ली जानी आवश्यक है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से समुचित परीक्षण एवं निर्णय किये जाने हेतु निदेशक–आयोजना की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति में उपायुक्त–दक्षिण, निदेशक–विधि और क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको सदस्य होंगे।

प्रस्ताव संख्या 20 (4) :: राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक सरदार एग्रो सीड्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह निवासी 25, सेंट्रल स्कूल योजना, एयरफोर्स, जोधपुर। प्रकरण संख्या 129/2012

आवेदक सरदार एग्रो सीड्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह निवासी 25, सेंट्रल स्कूल योजना, एयरफोर्स, जोधपुर ने ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को दो समाचार–पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 क्षेत्रफल 3 बीघा 5 बिस्वा का प्रार्थी द्वारा आवासीय से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन चाहा है परन्तु पहुँच मार्ग प्रार्थी द्वारा प्लेट टेबल सर्वे में 40 फीट चौडी सडक दर्शायी गयी है जबकि आवासीय से औद्योगिक हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु सडक कम से कम 60 फीट चौडा होना आवश्यक है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 22 मई, 2012 को प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 3 (43) नविवि/3/2009 दिनॉक 27 जुलाई, 2010 के मद्देनजर आवेदित भूमि में से 60 फीट सडक की चौडाई सुनिश्चित करने पर पुनः आगामी बैठक में रखा जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 (5) :: मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, क्षेत्रफल 4530.66 वर्ग मीटर, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 143/2011

आवेदक मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में सूचना दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको ने जरिये पत्र कमांक 7798 दिनांक 31 जनवरी, 2012 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत आपत्ति के कम में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र कमांक 649 दिनांक 13 फरवरी, 2012 जारी किया गया है। जिसके कम में प्रतिउत्तर प्राप्त होना अपेक्षित है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग औद्योगिक आरिक्षत है। भूखण्ड संख्या 4 पुलिस थाना शास्त्रीनगर के पीछे काजरी से मुख्य पाल सडक को मिलान करने वाली सडक के उत्तर दिशा में स्थित है तथा दक्षिण दिशा में मिल्कमैन कॉलोनी स्थित है। पश्चिम में भूखण्ड संख्या 3 व पूर्व दिशा में भूखण्ड संख्या 5 स्थित है तथा भूखण्ड संख्या 4 के उत्तर दिशा में रेलवे लाईन है जो बन्द है। मौके पर फैक्ट्री निर्मित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 17 फरवरी, 2012 को जरिय प्रस्ताव संख्या 6 (16) प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से यह मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि ऐसे क्षेत्र जो रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है एवं रीको द्वारा भूखण्डों का आवंटन भी नहीं किया गया है ऐसे क्षेत्र में भी रीको से अनापत्ति भू–उपयोग परिवर्तन के लिए लिया जाना आवश्यक रहेगा? साथ ही प्रकरण के परीक्षण के संबंध में उपायुक्त–दक्षिण की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप–समिति में उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण एवं निदेशक–विधि सदस्य होंगे। उक्त उप–समिति प्रकरण के समस्त तथ्यों का प्रचलित नियमों के संदर्भ में परीक्षण करते हुए प्रस्तावित भू–उपयेाग परिवर्तन के संबंध में राय प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार द्वारा जरिये पत्र कमांक प. 3 (44) नविवि/3/2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2012 द्वारा यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि, "....भूखण्ड यदि रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में नहीं हैं तो भू–उपयोग परिवर्तन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।" गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के कम में पत्रावली कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें

निर्णय लिया गया कि प्रकरण में रीको की आपत्ति का आधार क्या है? इस बाबत रीको से स्थिति स्पष्ट करायी जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

रीको ने इस संबंध में पत्र कमांक यू. 15 ( ) 2012/ 3068 दिनांक 18 जुलाई, 2012 द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया है। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया व अन्य इण्डस्ट्रीयल एरिया उनके क्षेत्राधिकार में आते है तथा उक्त क्षेत्र रीको के प्रशासनिक क्षेत्र में है। जिसके भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में रीको द्वारा ही निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में उनके द्वारा प्रबन्धक को पत्र दिनांक 7 जून, 2012 प्रेषित किया जा चुका है। इस संबंध में रीको द्वारा प्राधिकरण को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2012, 29 फरवरी, 2012 की प्रतियां भी संलग्न है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वांछित अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 (6) :: राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 139 में स्थित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 17 कुल रकबा 1253.07 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री सोनल चौहान पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह व श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोगपाल सिंह निवासी 4, हनवन्त कॉलोनी, राईकाबाग, जोधपुर। प्रकरण संख्या 13/2012

आवेदक श्री सोनल चौहान पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह व श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोगपाल सिंह निवासी 4, हनवन्त कॉलोनी, राईकाबाग, जोधपुर ने ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 139 में स्थित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 17 कुल रकबा 1253.07 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 29 मार्च, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार प्लाट संख्या 15, 16 व 17 जोधपुर से पाली जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्टेडिया आवासीय कॉलोनी जाने वाली 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है। प्लाट संख्या 15, 16 व 17 के चारों ओर चार दीवारी प्रार्थी द्वारा की गयी है। प्लाट संख्या 15, 16 व 17 का उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। जिसमें सडक की चोडाई 30 फीट चौडी दर्शायी गयी है। मास्टर प्लान में सडक की चौडाई 60 फीट चौडी आरक्षित है। प्रार्थी ने उपरोक्त तीनों प्लाट्स को आवासीय से व्यवसायिक हेतु भू–उपयोग परिवर्तन करना चाहता है। मेरी राय के अनुसार सडक की चौडाई 60 फीट चौडी रखते हुए सेन्टर से 30 फीट – 30 फीट छोड़ते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 22 मई, 2012 को प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त एवम् निदेशक–आयोजना से 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चिता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वांछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 (7) :: श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लाट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090/740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुल रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 184/2010

श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लाट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090/740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुल रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। मौका रिपोर्ट अनुसार मकान व चार दीवारी बनी हुई है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण में रीको से आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा उपायुक्त व उप नगर नियोजक की चैक लिस्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्राधिकरण की ओर से रीको को पत्र जारी किये जाने पर रीको द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के पत्र के संबंध में उन्होंने जयपुर कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा है।

आवेदक ने प्रार्थना–पत्र के रूप में इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की है कि रीको द्वारा इस संबंध में जो भी राशि की मांग की जावेगी, वे जमा करवा देंगे। अतः उनका प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में निर्णय लिया जावे। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि भू–उपयोग परिवर्तन आदेश रीको कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी किया जावे।

राज्य सरकार द्वारा जरिये पत्र कमांक प. 3 (44) नविवि/3/2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2012 द्वारा एक अन्य प्रकरण में यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि, ".... भूखण्ड यदि रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में नहीं हैं तो भू–उपयोग परिवर्तन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।" गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5 अप्रैल,

2012 के क्रम में पत्रावली कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि एक अन्य प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण आवदित भूमि रीको द्वारा विकसित है अथवा नहीं? के संबंध रिपोर्ट देने हेतु उपायुक्त–दक्षिण की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप–समिति में उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण एवं निदेशक–विधि सदस्य होंगे। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट सचिव को प्रेषित करेगी तथा रीको से स्पष्ट जानकारी ली जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वांछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 (8) :: राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 मीन की 20857 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.) से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्रीमती मगन जैन पत्नि श्री विनयकुमार जैन निवासी ए–46, शास्त्रीनगर, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 44/2012

आवेदक श्रीमती मगन जैन पत्नि श्री विनयकुमार जैन निवासी ए–46, शास्त्रीनगर, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 मीन की 20857 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.) से व्यवसायिक प्रयोजनाथ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 19 मई, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू–उपयोग अन्य सामुदायिक सुविधा (ओ.सी.एफ.) आरक्षित है। खसरा संख्या 632/11 शिकारगढ से सरदार समंद जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसी खसरे के उत्तर दिशा में होटल वेवस निर्माणाधीन है। जिसका भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में किया जा चुका है तथा पूर्व दिशा में 120 फीट चौडी सरदार समंद सडक है तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में पाबूपुरा ग्राम है। आसपास में व्यवसायिक एवं आवासीय गतिविधियॉं संचालित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 12 बीघा 17 बिस्वा व 14 बिस्वांशी अर्थात् 20857 वर्ग मीटर है। जिसका प्रार्थी द्वारा ओ.सी.एफ. से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। जिसकी अनुशंषा किया जाना उचित होगा।

आवेदित प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने के संबंध में कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 22 मई, 2012 को प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में सुनिश्चितता की जावे। यदि आपत्ति प्राप्त होती है, तो प्राप्त आपत्ति का निराकरण एवम् विधिक राय ली जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबंध में स्थानीय सैन्य मुख्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 (9) :: राजस्व ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 966 की 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जी जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर। भू–उपयोग प्रकरण संख्या 27/2012

आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जी जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर ने ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 966 की 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार–पत्रों में किया गया। जिसके क्रम में चैयरमेन/सेक्रेटी, लिगल सोसायटी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 966 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू–उपयोग पहाडी क्षेत्र आरक्षित है। खसरा संख्या 966 चौपासनी सडक से सिद्धनाथ जाने वाली सडक के पूर्व दिशा में स्थित है तथा मौके पर भूखण्ड रिक्त है तथा आसपास आवासीय निर्माण व रहवास है तथा आबादी एरिया विद्यमान है तथा सडक की चोडाई 80 फीट मास्टर प्लान के अनुसार आरक्षित है तथा पूर्व में एक प्रकरण का भू–उपयोग परिवर्तन आदेश 80 फीट चौडी सडक के हो चुके हैं।

उक्त प्रकरण के साथ निम्नलिखित प्रकरण भी दिनांक 22 मई, 2012 की बैठक में प्रस्तुत हुए जिनका विवरण निम्नानुसार है। बैठक में निर्णय लिया गया कि निदेशक–आयोजना स्वयं आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपनी सारगर्भित टिप्पणी सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

1– ग्राम सूथला के खसरा संख्या 31, 32/1, 35/1, 36/1 व 37 की 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जी जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर। भू–उपयोग प्रकरण संख्या 26/2012

2– ग्राम सूथला के खसरा संख्या 13, 14, 15 व 16 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री राजेन्द्र बाहेती पुत्र श्री जेठमल बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर। भू–उपयोग प्रकरण संख्या 26/2012

3– ग्राम सूथला के खसरा संख्या 18 व 19 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री राजेन्द्र बाहेती पुत्र श्री जेठमल बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर। भू–उपयोग प्रकरण संख्या 24/2012

4– ग्राम सूथला के खसरा संख्या 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर। भू–उपयोग प्रकरण संख्या 23/2012

5– निदेशक–आयोजना ने उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में टिप्पणी प्रस्तुत की है कि उक्त भूमि सिद्धनाथ जाने वाली सडक पर स्थित है। राजस्व जमाबंदी में उक्त भूमि की किस्म "चाही अलिफ" अंकित है। मौका स्थिज्ञति के अनुसार भी उक्त भूमि समतल रूप में हैं। आवेदित भूमि के समीपीय क्षेत्रों में आवासीय गतिविधियां, फार्म हाऊस व मैरिज गार्डन आदि विद्यमान है। जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार उक्त अराजियात की भूमि पहाडी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। मौका स्थिति अनुसार उक्त क्षेत्र समतल है। मौके पर सिद्धनाथ सडक के दोनों ओर समतल भूमि के पश्चात् पहाडी क्षेत्र विद्यमान है। उक्त भूमि के समीपीय क्षेत्र में पूर्व में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति व प्राधिकरण व कार्यकारी समिति की बैठक में पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये गये हैं। जिसमें सिद्धनाथ सडक का मार्गाधिकार 80 फीट रखते हुए स्वीकृतियां जारी की गयी है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 (10) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 24/2 रकबा 11250.10 वर्ग मीटर भूमि का ट्यूरिजम व होटल प्रयोजनार्थ से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री रूपाराम, श्री प्रहलादराम, श्री राजूराम पुत्र श्री नोहराराम व श्रीमती फूसीदेवी पत्नि श्री नोहरराम वगैरह निवासी ग्राम पाल, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 54/2012

आवेदक श्री रूपाराम, श्री प्रहलादराम, श्री राजूराम पुत्र श्री नोहरराम व श्रीमती फूसीदेवी पत्नि श्री नोहरराम वगैरह निवासीगण ग्राम पाल जिला जोधपुर ने राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 24/2 रकबा 11250.10 वर्ग गज भूमि का ट्यूरिजम व होटल प्रयोजनार्थ से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 15 मई, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 24/2 का मास्टर प्लान के अनुसार भू–उपयोग पर्यटक सुविधायें/कैम्पिंग स्थल/मेले आरक्षित है। खसरा संख्या 24/2 पाल बाईपास सडक से प्रस्तावित 80 फीट व 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है तथा पश्चिम दिशा में आवासीय मकान बने हुए है तथा उत्तर दिशा में सरकारी रास्ता है जिसे प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन

छोडते हुए 60 फीट चौडा दर्शाया है। खसरा संख्या 24/2 का क्षेत्रफल 11250.10 वर्ग मीटर रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा है। प्रार्थी द्वारा भू–उपयोग आवासीय चाहा है तथा पास में खसरा संख्या 23 व 23/2 का भू–उपयोग आवासीय किया है। आसपास की रहवासीय स्थिति को देखते हुए भू–उपयोग आवासीय हेतु अनुशंषा की जा सकती है।

आवेदित प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 (11) :: राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 42 में स्थित भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 कुल रकबा 1523.32 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री जयपाल सिंह राठौड, श्रीमती राजकंवर एवं श्री महीपाल सिंह राठौड निवासीगण गोपालबाडी, चौपासनी, जोधपुर। प्रकरण संख्या 70/2012

आवेदक श्री जयपाल सिंह राठौड, श्रीमती राजकंवर एवं श्री महीपाल सिंह राठौड निवासीगण गोपालबाडी, चौपासनी, जोधपुर ने राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 42 में स्थित भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 कुल रकबा 1523.32 वर्ग गज अर्थात् 1273.61 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 14 जून, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 42 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड संख्या 2 से 9 का संयुक्तिकरण करवाना आवश्यक है। इस कम में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने अपने पत्र कमांक प. 3 (78) नविवि/3/2012 दिनांक 26 जुलाई, 2012 द्वारा उक्त भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ पुनर्गठन की स्वीकृति प्रचलित भवन विनियम के प्रावधान मापदण्ड लागू किये जाने की शर्त पर प्रदान की है।

मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण है। उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक की चैक लिस्ट में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 (12) :: ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88/5 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवँ गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक सुश्री मोना सामरिया पुत्री आनन्दसिंह निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोधपुर। प्रकरण संख्या 9/2012

आवेदक सुश्री मोना सामरिया पुत्री आनन्दसिंह निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोधपुर ने ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88/5 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवँ गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 8 फरवरी, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू–उपयोग वेयर हाऊस व गौदाम हेतु आरक्षित है। खसरा संख्या 88/5 मुख्य बाईपास सडक के उत्तर दिशा में स्थित है। बाईपास सडक की चौडाई 200 फीट चौडी व 75–75 फीट प्लाण्टेशन हेतु आरक्षित है तथा पश्चिम दिशा में जोधपुर से सोजत जाने वाली 100 फीट चौडी सडक प्रस्तावित है तथा पूर्व दिशा में खसरा संख्या 88 व उत्तर दिशा में खसरा संख्या 87 स्थित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। जिसके कम में भू–उपयोग परिवर्तन आदेश दिनांक 18 जुलाई, 2012 को जारी किये जा चुके हैं।

आवेदक द्वारा चाहा गया भू–उपयोग परिवर्तन भण्डारण एवं गौदाम से होटल वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है। इस हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 (13) :: ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवँ गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती मैंजू देवी पत्नि श्री आनन्दसिंह निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोधपुर। प्रकरण संख्या 8/2012

आवेदक श्रीमती मैंजू देवी पत्नि श्री आनन्दसिंह निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोधपुर ने ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवँ गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के

संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 8 फरवरी, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू–उपयोग वेयर हाऊस व गौदाम हेतु आरक्षित है। खसरा संख्या 88 मुख्य बाईपास रोड जो 200 फीट चौडी है, के उत्तर दिशा में स्थित है तथा पश्चिम दिशा में जोधपुर से सोजत जाने वाली 100 फीट चौडी सडक से खसरा संख्या 88/5 को छोडते हुए स्थित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। जिसके कम में भू–उपयोग परिवर्तन आदेश दिनांक 18 जुलाई, 2012 को जारी किये जा चुके हैं।

आवेदक द्वारा चाहा गया भू–उपयोग परिवर्तन भण्डारण एवं गौदाम से होटल वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है। इस हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 (14) :: ग्राम डोली के खसरा संख्या 306/1 मीन के रकबा 1225 वर्ग मीटर भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती नीता आहूजा पत्नि श्री अनिल कुमार आहूजा निवासी ए–108, शंकर नगर, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के पास, जोधपुर। प्रकरण संख्या 188/2010

आवेदक श्रीमती नीता आहूजा पत्नि श्री अनिल कुमार आहूजा निवासी ए–108, शंकर नगर, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के पास, जोधपुर ने ग्राम डोली के खसरा संख्या 306/1 मीन के रकबा 1225 वर्ग मीटर भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदक द्वारा उक्त भूमि के लीज डीड हेतु भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91–ए के तहत आवेदन किया है। ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जानी है। इस बाबत प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में समिति गठित की जावे जिसमें निदेशक–विधि, निदेशक–आयोजना एवं संबंधित उपायुक्त सदस्य होंगे।

प्रस्ताव संख्या 20 (15) :: ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 की 1632.71 वर्ग मीटर भूमि का पर्यटन इकाई से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। आवेदक श्रीमती सुशीला पत्नि श्री कालूराम प्रजापत निवासी सिरियादे गांव, नांदडी कला, जोधपुर। प्रकरण संख्या 20/2012

आवेदक श्रीमती सुशीला पत्नि श्री कालूराम प्रजापत निवासी सिरियादे गांव, नान्दडी कलॉ, जोधपुर ने ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 की 1632.71 वर्ग मीटर भूमि का पर्यटन इकाई से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 3 मई, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू–उपयोग पर्यटक इकाई (टी.एफ.) आरक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्लेन टेबल सर्वे प्लान के अनुसार भूखण्ड 60 फीट चौडी सडक पर स्थित होना बताया गया है। भूखण्ड का नाप 92 फीट 6 ईंच गुणा 190 फीट अर्थात् 1632.71 वर्ग मीटर है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 22 मई, 2012 की बैठक में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के सामने 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चितता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में वांछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: विवेक विहार आवासीय योजना से संबंधित प्रकरण

(अ) एक से अधिक कॉलम में टिक वाले मामले
(ब) 90 दिवस या अधिक अवधि से राशि जमा से शेष वाले मामले
(स) व्यवसायिक भूखण्डों के आवंटन हेतु नक्शे व प्रकिया का अनुमोदन

बैठक में बाद विचार विमर्श कर उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1– ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदक ने आरक्षण श्रेणी के 1 से अधिक कॉलम में सही का निशान "टिक" लगाया है और लॉटरी में आवेदक को किसी एक वर्ग का मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया गया और आवेदक लॉटरी में सफल रहा, ऐसे प्रकरणों में ऐसे आवेदकों को जो सफल श्रेणी में पात्रता रखते हैं तो आवंटित भूखण्डों का आवंटन–पत्र जारी किया जावे।

2– ऐसे प्रकरण जिनमें आवंटी द्वारा आवंटन–पत्र प्राप्ति के 90 दिवस में राशि जमा नहीं करायी है तो ऐसे प्रकरणों में पर्याप्त एवं समुचित कारण होने पर उपायुक्त–दक्षिण नियमन के लिए सक्षम होंगे।

3– अवाप्तसुदा भूमि के बदले विकसित व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन की विस्तृत योजना व प्रकिया शीघ्र तेयार कर प्रस्तुत करने के लिए निदेशक–आयोजना को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4– ऐसे पत्रकार जिनके अखबार द्वारा पी.एफ. की राशि नहीं काटी जाती है एवं जिनकी 80,000/– रूपये से अधिक वार्षिक आय है, को भी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2011 के अनुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने की अनुशंषा किये जाने का निग्रय लिया गया और इस संबंध में राज्य सरकार को परिपत्र के कम में समुचित निर्णय लेने हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: भदवासिया आर.ओ.बी. हेतु भूमि अवाप्ति बाबत

जोधपुर शहर के भदवासिया क्षेत्र में आर.ओ.बी. को कार्य प्रगति पर है निर्माणाधिन क्षेत्र में निम्न व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई है।

1. श्री छोटू खाँ पुत्र श्री बुन्दू खाँ का भूखण्ड संख्या 70/99 = 58.81 वर्ग गज बंजारा कॉलोनी, भदवासिया रोडवेज वर्कशोप
2. श्री मुन्ना पुत्र मोहम्मद खाँ भूखण्ड माप 101.11 वर्ग गज बंजारा कॉलोनी, भदवासिया रोडवेज वर्कशोप
3. श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री बुन्दू खाँ का भूखण्ड।

तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा कम संख्या 1 के प्रार्थी श्री छोटू खां को अहस्तान्तरणीय नियमन आवंटन/अधिकार पत्र संख्या 309 दिनांक 4 अक्टूबर, 2003 तथा कम संख्या 2 के प्रार्थी श्री मुन्ना खां को अहस्तान्तरणीय नियमन आवंटन/अधिकार पत्र संख्या 315 दिनांक 4 अक्टूबर, 2003 जारी किए गए हैं जिनकी छायाप्रति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर एवं कम संख्या 3 पर अंकित प्रार्थी श्री अब्दुल रहमान द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूखण्डों पर प्रार्थीगण एवं उनका परिवार मकान बनाकर पिछले कई वर्षों से निवास कर रहा है तथा उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूखण्ड/आवास नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा इसी क्षेत्र में अन्य भूखण्ड/आवास आवंटन करने की मांग करने पर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2012 में भदवासिया क्षेत्र में प्राधिकरण की कोई योजना नहीं होने के कारण निकट स्थित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया में अवाप्त भूमि के एवज में भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के संबंध में प्रार्थीगण ने असहमति प्रस्तुत कर दीपदयाल उपाध्याय नगर योजना बासनी तम्बोलिया में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण अवाप्त की गयी भूमि की एवज में कबीर नगर या राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ कार्यकारी समिति में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया जाकर राजीव गांधी योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: मैसर्स साबू इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम घडाव तहसील जोधपुर में सौलर पॉवर प्रोजेक्ट हेतु भूमि आवंटन।

मैसर्स साबू इन्जीनियर्स प्रा.लि. जोधपुर द्वारा ग्राम घड़ाव तहसील जोधपुर के खसरा न. 196 किस्म गै. मु. भाकर में 1 MW Grid Interactive Solar PV Power Project के 63.09 बीघा (3.5 हैक्टेयर) आवंटन करने की मांग करने पर

Rajasthan Solar Energy Policy 2011 में पंजियन संख्या S/768/2011 को (Allotment land for setting up of power plant based on Renewable Energy Source) Rules 2007 के तहत स्वीकृति संख्या F/12 (789)RREC/Solar/Saboo Engineers/D-3556 to 60 Dated 6/6/2012 तहसील जोधपुर के ग्राम घड़ाव के खसरा न. 196 किस्म गै. मु. भाकर रकबा 63.09 बीघा भूमि का हस्तानान्तरण श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश संख्या प. 12(3)राज/आवं/जेडीए/2012/4021 दिनांक 22.06.2012 के द्वारा कर दी गयी है, 63.09 भूमि रकबा में से 3.5 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति मे वास्ते निर्णायार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में हैं। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सौलर पॉवर प्लाण्ट का निर्माण परिधि नियंत्रण पट्टी में राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार अनुज्ञेय है किन्तु आवंटन के लिए राज्य सरकार ही सक्षम है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्री कमलेश छंगाणी, पम्प ऑपरेटर को दैनिक वेतन पर नियुक्ति तिथि दिनांक 19 अक्टूबर, 1983 से सेवा का परिलाभ देने बाबत।

श्री कमलेश छंगाणी, पम्प ऑपरेटर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दैनिक वेतन पर नियुक्ति तिथि दिनांक 19.10.1983 से नियमित सेवा का वेतन एवं परिलाभ दिलाये जाने की मांग की है। श्री छंगाणी न्यास में राज. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2012 की पालना में दिनांक 19.03.1990 से नियमित किया जाकर परिलाभ दिये जा रहे है। कर्मचारी द्वारा बार–बार प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.10.1983 से सेवा का परिलाभ दिये जाने का निवेदन किया जा रहा है, जो कि अन्य कर्मचारियों की भॉति दिये गये परिलाभ के अनुरूप मांग की जा रही है।

प्रकरण कार्यालय का पत्रांक 2286 दिनांक 09.04.2012 के द्वारा इस संदर्भ में मांग दर्शन चाहा गया था, जिसके जवाब में नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर का पत्रांक प.1(67)नविवि/ द्वितीय/2009 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा लिखा गया है कि अन्य कर्मचारियों को लाभ दिया गया है, तो प्रस्तुत प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर करने में क्या कठिनाई है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श करके कार्मिक श्री छंगाणी को प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 19 अक्टूबर, 1983 से सेवा का नियमन नोशनल आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्मिक को उक्त अवधि का वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभ देय नहीं होंगे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोली पंचायत समिति लूणी के खसरा संख्या 317 में भूमि आवंटन बाबत।

प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोली पंचायत समिति लूणी के खसरा संख्या 317 विद्यालय भवन हेतु 1

बीघा भूमि की मांग की है। नवीन आवंटन नीति दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के अनुसार संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 3000 वर्ग मीटर भूमि अधिकतम क्षेत्रफल के रूप में अनुज्ञेय है। आवंटन भूमि की किस्म बारानी प्रथम ग्राम डोली पी.सी.बी. क्षेत्र में आरक्षित है, आरक्षित दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु राजकीय विद्यालय है उन्हें निःशुल्क देने निर्देशानुसार उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि आबादी भूमि विस्तार के प्रयोजन से उक्त राजकीय संस्थान को भूमि आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रत्यक्षा में किये जाने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु निवेदन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 26 :: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोली पंचायत समिति लूणी के खसरा संख्या 381 में भूमि आवंटन बाबत।

प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोली पंचायत समिति लूणी के खसरा संख्या 381 विद्यालय भवन हेतु 2.16 बीघा भूमि की मांग की है। नवीन आवंटन नीति दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के अनुसार संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 6000 वर्ग मीटर भूमि अधिकतम क्षेत्रफल के रूप में अनुज्ञेय है। आवंटन भूमि की किस्म बारानी प्रथम ग्राम डोली पी.सी.बी. क्षेत्र में आरक्षित है, आरक्षित दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु राजकीय विद्यालय है उन्हें निःशुल्क देने निर्देशानुसार उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि आबादी भूमि विस्तार के प्रयोजन से उक्त राजकीय संस्थान को भूमि आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रत्यक्षा में किये जाने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु निवेदन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 :: रिक्तिया भैरूजी चौराहा स्थित कियोस्क संख्या 23 के संबंध में।

श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री मोतीलाल निवासी कलाल कॉलोनी गली संख्या 6, जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गौरव पथ के निर्माण के दौरान उनकी कियोस्क संख्या 23, रिक्तिया भैरूजी चौराहा को हटा दी गयी थी, मुझे यह आश्वासन दिया था कि आपको अन्य जगह कियोस्क या भूमि आवंटन कर दी जायेगी। जो आज दिनांक तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। श्री गुलाबचन्द द्वारा उक्त कियोस्क संख्या 23, रिक्तिया भैरूजी के बदले अन्य स्थान पर कियोस्क या भूमि आवंटन करने की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विभिन्न सडक मार्गों पर सडक सीमा में कियोस्क आवंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में स्पष्टीकरण चाहा गया है। अतः आवेदक को

कियोस्क आवंटन एवं कियोस्क आवंटन के अन्य प्रकरणों में भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 28 :: विद्युत कार्यों के संबंध में।

1. प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की Re-splitting राशि की पुष्टि स्वीकृति बाबत् :–

S.No.	Name of Work	Original A&F Amount (Lacs in)	Splitting Amount			
			Name of Work	Shifting Work (Lacs in) पूर्व स्वीकृत	Re-splitting Amount (in Lacs)	रोड़ लाईट / अन्य कार्य (लाखों में)
1.	बासनी पुल से एम्स के सामने होते हुए पाल रोड़ व चौपासनी रोड़ तक 6.25 किलोमीटर तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य।	3367.00	(1) बासनी पुल से एम्स् रेजिडेन्सियल कॉलोनी एवं रेजिडेन्सियल कॉलोनी से पाल रोड़ बाईपास तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	72.00	117.00	107.00
			(2) पाल रोड़ से अणदाराम स्कूल एवं चौपासनी रोड़ तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य	96.00	125.00	40.00
2.	सरदारपुरा 'डी' रोड़ को 4 लेन करने का निर्माण कार्य।	230.00	(1) सरदारपुरा 'डी' रोड़ को 4 लेन करने का निर्माण कार्य।	99.00	151.00	
3.	आखलिया चौराहे से चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड होते हुए जैसलमेर बाईपास तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य।	1400.00	(1) प्रथम पुलिया से नाथुराम मिर्धा फार्म तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	125.00	190.00	72.00
4.	भदवासिया रेल्वे क्रॉसिंग से जयपुर रोड़ तक वाया माता का थान सड़क एवं नाला निर्माण	1250.00	(1) भदवासिया रेल्वे क्रॉसिंग से मदेरणा कॉलोनी मोड़ तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर	120.00		165.50

	कार्य।		को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।			
5.			(2) मदेरणा कॉलोनी मोड़ से नृरसिंह प्याऊ तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	100.00	139.00	90.00

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

2. **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वार्षिक अनुबंध कार्यो की बढाने बाबत् :– जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक अनुबंध के तहत विद्युत कार्य करने के लिये कार्यादेश जारी किये गये। लेकिन प्राप्त पत्रों के निस्तारण एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना में यह राशि बढाई जानी आवश्यक है। अतः निम्न वार्षिक कार्यो की A&F बढाई जाने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।**

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्व प्राप्त A&F राशि	प्रस्तावित A&F राशि
1.	जोन उत्तर क्षेत्र में सिमेन्ट पोल, वायर केबल इत्यादि से वार्षिक अनुबंध के तहत विद्युतीकरण कार्य।	40.00	80.00
2.	जोन उत्तर में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक केन्द्रो एवं पार्को में वार्षिक अनुबंध के तहत विद्युतीकरण का कार्य।	40.00	80.00
3.	जोन पश्चिम क्षेत्र में सिमेन्ट पोल, वायर केबल इत्यादि से वार्षिक अनुबंध के तहत विद्युतीकरण कार्य।	25.00	50.00
4.	जोन दक्षिण क्षेत्र में सिमेन्ट पोल, वायर केबल इत्यादि से वार्षिक अनुबंध के तहत विद्युतीकरण कार्य।	25.00	50.00
5.	जोन पूर्व क्षेत्र में सिमेन्ट पोल, वायर केबल इत्यादि से वार्षिक अनुबंध के तहत विद्युतीकरण कार्य।	25.00	50.00

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

3. **निम्न कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बढाने एवं अधिक एवं अतिरिक्त कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तावना :–**

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्व प्राप्त A&F राशि	प्रस्तावित A&F राशि
1.	बनाड रोड के आस पास कॉलोनीयों में वायर लाईट एवं पोल लगाने का कार्य।	25.00	45.00
2.	पाली रोड के आस पास कॉलोनीयों में वायर लाईट एवं पोल लगाने का कार्य।	22.00	40.00
3.	पृथ्वीराज नगर में विद्युतीकरण का कार्य।	3.00	5.00
4.	गौशाला मैदान में लगी सोलर लाईटों को सही करने का कार्य।	2.40	4.00
5.	हुड़को क्वाटर बासनी तम्बोलिया आंगणवा बालाजी मंदिर, सुरपुरा 8 मील तक रोड लाईट कार्य।	113.00	130.00
6.	हनुमान बाडीया से चौराहा से गोलासनी रोड पर विद्युतीकरण का कार्य।	19.00	30.00
7.	ग्राम गंगाणा में ईदगाह एवं कब्रिस्तान में लाईटे लगाने बाबत्।	3.00	5.00

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

4. निम्न कार्यो की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तक कार्य करवाने एवं आवश्यकतानुसार अधिक एवं अतिरिक्त कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तावना :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्व प्राप्त A&F राशि
1.	पाल रोड के आस पास कॉलोनीयों में वायर लाईट एवं पोल लगाने का कार्य।	24.00
2.	जोन पश्चिम में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक केन्द्रो एवं पार्को में वार्षिक अनुबंध के तहत विद्युतीकरण का कार्य।	25.00
3.	बनाड रोड पर विद्युतीकरण का कार्य।	127.00

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: जोन दक्षिण के विकास कार्यों के संबंध में।

1– जोन दक्षिण– ए व बी में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक कार्यादेश राशि की सूची ::

क्र. स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	टेण्डर प्रिमियम	कार्यादेश राशि (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की आवश्यकता है।	विशेष विवरण /विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	7
1	युआइडीएसए सएमटी योजना के अन्तर्गत डाली गई सीवर लाईन एवं डामर सडक का निर्माण कार्य (झालामण्ड जोन)	492.00	32/12 -13	24.49 % Above	588.09	96.09	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
2	दक्षिण जोन में मुटाम लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबंध)	50.00	41/12 -13	40 % Above	66.97	16.97	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
योग :—		542.00			655.06	113.06	

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1— बासनी गांव में सडक व सीवर लाईन का कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु

मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	रू. 89.78 लाख
मूल तकनीकी स्वीकृति	रू. 90.00 लाख
कार्यादेश राशि	रू. 100.23 लाख
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति	रू. 189.38 लाख
संशोधित तकनीकी अनुमान	रू. 189.38 लाख

(Revised Estimate amount)

अधिक कार्य (Excess Item)	रू. 66.69 लाख (66.5%)
अतिरिक्त कार्य (Extra Item)	रू. 64.71 लाख (71.9%)

निदेशक अभियांत्रिकी के कार्यालय आदेश EE/386 Dated 22-06-12 की अनुपालना में मैसर्स एन.के. बिल्डकॉन से इस कार्य से संबंधित क्षेत्र का सर्वे करवाकर सीवरेज डिजाईन करवाई गई।सीवरेज डिजाईन के अनुसार 300 MM व्यास के RCC NP-3 Class के पाईप व Type C के मैनहॉल से प्रोपर्टी तक यू.पी.वी. सी. पाईप डालने व तंग गलियों में सीमेन्ट सडक निर्माण आदि कार्य प्रस्तावित किये गये है। सीवरेज डिजाईन में प्रस्तावित कार्य अनुसार रू. 189.38 लाख की Revised Estimate Amount & Revised A & F आवश्यक है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: जोन पश्चिम में विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में।

जोन पश्चिम में विभिन्न कार्यो की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने एवं अधिक एवं अतिरिक्त कार्यो की स्वीकृति

1. वार्ड नं. 11 में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन का कार्य :–

मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति लाख	रू. 19.05
मूल तकनीकी स्वीकृति लाख	रू. 19.05
कार्यादेश राशि लाख	रू. 17.65
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति लाख (263.51 %)	रू. 65.56
संशोधित तकनीकी अनुमान लाख (Revised Estimated Amount)	रू. 65.56
अतिरिक्त कार्य (Extra Item) लाख	रू. 46.51

निदेशक अभियांत्रिकी के कार्यालय आदेश EE/386 Dated 22-06-12 की अनुपालना में मैसर्स एन के. बिल्डकॉन से इस कार्य से संबंधित क्षेत्र का सर्वे करवाकर सीवरेज डिजाईन करवाई गई। सीवरेज डिजाईन के अनुसार तकमीना बनाने से कार्य की लागत 65.56 लाख हो गई है। अतः 65.56 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति आवश्यक है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं अतिरिक्त कार्य 46.51 (263.51 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

2 **भोमिया जी के थान स्थित क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य :–**

मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति लाख	रू. 13.60
मूल तकनीकी स्वीकृति लाख	रू. 13.60
कार्यादेश राशि लाख	रू. 13.16
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति लाख	रू. 33.68
संशोधित तकनीकी अनुमान लाख (Revised Estimated Amount)	रू. 33.68
अधिक कार्य (Excess Item) लाख (152.58 %)	रू. 20.08

उक्त स्थान पर चार दीवारी की लम्बाई 55 मीटर ली गई थी मौके पर 89 मीटर है व फाउन्डेशन की चौडाई 1.50 मीटर ली गई थी मौके पर मिट्टी के अधिक दबाव के कारण 3 मीटर निर्देशानुसार बढाने के कारण अधिक कार्य रू. 2007408.00 का संपादित करवाया जाना है। डिजाईन के अनुसार तकमीना बनाने से कार्य की लागत 33.68 लाख हो गई है। अतः 33.68 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति आवश्यक है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं अधिक कार्य रू. 20.08 लाख (152.58 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

3. **वार्ड नं. 2 से वार्ड नं. 11 नहर के पास व साईड की सड़को का निर्माण कार्य :–**

1. मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति लाख	रू. 99.40
2. मूल तकनीकी स्वीकृति लाख	रू. 99.40
3. कार्यादेश राशि 81 लाख	रू. 102.
4. आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 26 लाख	रू. 173.
5. संशोधित तकनीकी अनुमान 26 लाख	रू. 173.
6- (Revised Estimated Amount)	
7. अधिक कार्य (Excess Item) प्रतिशत)	रू. 73.86 लाख (71.84

वार्ड नं. 2 से वार्ड नं. 11 नहर के पास व साईड की सड़को का निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 99.40 लाख की श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मोहल्ला वासियों की मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार डामर सड़क के स्थान पर सीमेन्ट सड़क निर्मित की जानी है जिसके कारण अधिक कार्य रू. 73.86 का होना है। डिजाईन में प्रस्तावित कार्य कराने के कारण रूपये 173.26 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति आवश्यक है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं अधिक कार्य रू. 73.86 लाख (71.84 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

4. राजीव गांधी नगर योजना चौखा में मुख्य नाला निर्माण का कार्य (डी–1) सेक्टर एफ पार्क से सी–1 तक (प्रथम फेज) :–

1. मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति — रू. 190.00 लाख
2. मूल तकनीकी स्वीकृति — रू. 190.00 लाख
3. कार्यादेश राशि — रू. 205.25 लाख
4. आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति — रू. 281.85 लाख
5. संशोधित तकनीकी अनुमान — रू. 281.85 लाख
6- (Revised Estimated Amount)
7. अधिक कार्य (Excess Item) — रू. 76.10 लाख (37.08 प्रतिशत)

राजीव गांधी नगर योजना चौखा में मुख्य नाला निर्माण का कार्य (डी–1) सेक्टर एफ पार्क से सी–1 तक (प्रथम फेज) के कार्य में कुल नाला निर्माण की लम्बाई 800 मीटर ली गई थी, मौके पर संशोधित एलाईन्मेन्ट अनुसार उक्त लम्बाई 1220 मीटर होने से व मौका स्थिति अनुसार नाले की गहराई बढने से लागत लगभग 76.10 लाख रू. बढ लायेगी। प्रस्तावित कार्य कराने के कारण रूपये 281.85 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति आव यक है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं अधिक कार्य रू. 76.10 लाख (37.08 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक उक्त प्रस्ताव का अपने स्तर पर पूर्ण परीक्षण करं अपनी टिप्पणी आयुक्त महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत करेंगे। आयुक्त महोदय उक्त प्रकरण में स्वीकृति के लिए सक्षम होंगे।

5. राजीव गांधी नगर योजना चौखा में मुख्य नाला निर्माण का कार्य (डी–4) सेक्टर जे से सेक्टर जी तक (प्रथम फेज) :–

1. मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति — रू. 213.00 लाख
2. मूल तकनीकी स्वीकृति — रू. 212.74 लाख

3. कार्यादेश राशि — रू. 229.76 लाख

4. आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति — रू. 285.90 लाख
5. संशोधित तकनीकी अनुमान — रू. 285.90 लाख
6- (Revised Estimated Amount)
अधिक कार्य (Excess Item) — रू. 56.14 लाख (24.48 प्रतिशत)

राजीव गांधी नगर योजना चौखा में मुख्य नाला निर्माण का कार्य (डी–4) सेक्टर जे से सेक्र जी तक (प्रथम फेज) के कार्य में कुल नाला निर्माण की लम्बाई 925 मीटर ली गई थी, मौके पर संशोधित एलाईन्मेन्ट अनुसार उक्त लम्बाई 1180 मीटर होने से व मौका स्थिति अनुसार नाले की गहराई बढने से लागत लगभग 56. 14 लाख रू. बढ लायेगी। प्रस्तावित कार्य कराने के कारण रूपये 288.90 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति आवश्यक है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं अधिक कार्य रू. 56.14 लाख (24.48 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक उक्त प्रस्ताव का अपने स्तर पर पूर्ण परीक्षण करं अपनी टिप्पणी आयुक्त महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत करेंगे। आयुक्त महोदय उक्त प्रकरण में स्वीकृति के लिए सक्षम होंगे।

6. बासनी आर.ओ.बी. से अणदाराम स्कूल एवं अणदाराम परिहार स्कूल से चौपासनी रोड तक :–

1. मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति — रू. 2326.7 लाख

2. मूल तकनीकी स्वीकृति — रू. 2326.7 लाख
3. कार्यादेश राशि — रू. 2173.38 लाख

4. आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति — रू. 2755.7 लाख
5. संशोधित तकनीकी अनुमान — रू. 2755.7 लाख
6- (Revised Estimated Amount)
अतिरिक्त कार्य (Extra Item) — रू. 429.00 लाख (19.74 प्रतिशत)

जोन पश्चिम ए में बासनी पुलिया से चौपासनी रोड तक सडक निर्माण कार्य प्रगतिरत है। श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2012 को अन्तर विभागीय बिन्दुओ के समाधान हेतु बैठक आयाजित हुई थी जिसमें यह निर्देश प्रदान किये गये कि इस निर्माणधीन सडक के नीचे से गुजर रही पानी की पाईप लाईनो को उसी स्थान पर बन्द किया जाकर सडक के समीप नई पाईप लाईन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई जाये तथा इस कार्य हेतु कुल लागत रू. 12. 85 करोड तीन विभागो क्रमशः जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल तथा रीको द्वारा वहन किये जायेगे, तथा जिसके अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को रू. 4.29 करोड राशि वहन करनी होगी। प्रस्तावित कार्य कराने के कारण रूपये 2755.7 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति आवश्यक है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं अतिरिक्त कार्य रू. 429.00 लाख (19.74 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक उक्त प्रस्ताव का अपने स्तर पर पूर्ण परीक्षण करं अपनी टिप्पणी आयुक्त महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत करेंगे। आयुक्त महोदय उक्त प्रकरण में स्वीकृति के लिए सक्षम होंगे।

7. बाबा रामदेव मंदिर मसूरिया मे सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य :–

1. मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 42.50 लाख
2. मूल तकनीकी स्वीकृति रू. 42.50 लाख
3. कार्यादेश राशि रू. 38.42 लाख
4. आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 56.98 लाख
5. संशोधित तकनीकी अनुमान रू. 56.98 लाख

6- (Revised Estimated Amount)
अतिरिक्त कार्य (Extra Item) रू. 4.65 लाख (12.10 प्रतिशत)

7. अधिक कार्य (Excess Item) रू. 13.91 लाख (36.20 प्रतिशत)

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय के निर्दे ानुसार बाबा रामदेव मंदिर मसूरिया के मुख्य मार्ग की चौडाई बढाई जानी है। चौडाई बढाने हेतु वहां रिटेनिंग वॉल का निर्माण करवाया जाना तकनिकी रूप से आवश्यक है। प्रस्तावित कार्य कराने के कारण रूपये 56.98 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति आवश्यक है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं अतिरिक्त कार्य रू. 4.65 लाख (12.10 %) एवं अधिक कार्य रू. 13.91 लाख (36.20 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक उक्त प्रस्ताव का अपने स्तर पर पूर्ण परीक्षण करं अपनी टिप्पणी आयुक्त महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत करेंगे। आयुक्त महोदय उक्त प्रकरण में स्वीकृति के लिए सक्षम होंगे।

प्रस्ताव संख्या 31 :: जोन पूर्व के विकास कार्यों के संबंध में।

मैसर्स अम्बे कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा गौरवपथ के अन्तर्गत किये गये विभिन्न विकास कार्यो में प्रस्तुत लम्बित भुगतान के दावों की मांग की गई। इसलिये उच्च स्तरीय कमेटी की गठन किया गया परीक्षण एंव अनुमोदन विभागीय उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किया गया। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार विकास कार्यों के अनुबंधवार भुगतान हेतु अधिक/अतिरिक्त कार्यो की स्वीकृत एंव निम्नानुसार प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं :–

कार्य का नाम	पूर्व मे जारी प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति (लाखों में)	अतिरिक्त एंवम अधिक कार्यो हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति	कुल संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों में)

		(लाखों में)	
गौरव पथ के अन्तर्गत एयरपोर्ट से रिक्तियां भैरूजी चौराहा तक फुटपाथ का निर्माण जोन "ए" अनुबंध न 38(323)06-07	99.00	45.29	144.29
गौरवपथ के अन्तर्गत रिक्तिया भैरूजी चौराहा से मथुरादास चौराहा तक फुटपाथ का निर्माण जोन "बी" अनुबंधन. 38(148)06-07	88.00	37.24	125.24
गौरवपथ के अन्तर्गत सिविल ऐयर पार्ट से रिक्तीया भेरुजी चौराहा तक पार्किंग स्थल का निर्माण जोन "ए" अनुबंध न. 38(318)06-07	35.00	16.06	51.06
गौरवपथ के अन्तर्गत सिक्लि एयरपोर्ट के पास नाला कर्वरिग जोन "ए" अनुबंध न. 38(20)07-08	68.00	7.65	75.65
गौरवपथ के अन्तर्गत सांसी कॉलानी RCC से नाला कवरिंग का कार्य जोन "ए" अनुबंध न. 38(19)07-08	40.00	4.40	44.40

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य 4 – 5 वर्ष पूर्व कराये गये थे तथा उक्त कार्यों में जारी कार्यादेश के तहत धरोहर राशि रिफण्ड की जा चुकी है। अतः पी.डब्ल्यू.एफ.ए.आर. नियमों के अनुसार पुनः विचार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रस्ताव को उक्त आधार पर खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: जोन उत्तर के विकास कार्यों के संबंध में।

अ– संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु

1– अशोक कॉलोनी मे सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (31)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स एस.एस. कन्स. कं. से इस कार्य से उक्त कार्य 14.99 प्रतिशत बिलो में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों द्वारा अशोक कॉलोनी के कार्य के साथ ही राजीव गांधी कॉलोनी की चार–पांच गलियों में अतिरिक्त कार्य इसी दर पर करवाया गया जिस कारण अधिक कार्य रू. 8.14 लाख तथा अतिरिक्त कार्य रू. 1.60 लाख हुआ। उक्त कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 10.00 लाख है। अतिरिक्त/अधिक कार्य होने के कारण अतिरिक्त प्र ाासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 9.19 लाख की आव यकता है। अतः संशोधित प्र ाासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 19.19 लाख अधिक कार्य (Excess Item) रू. 12.00 लाख (147.00 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

2– फूलबाग क्षेत्र में नाला विकास कार्यः–

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (24)/2011–12 की अनुपालना में मैसर्स सुखसिह परिहार से इस कार्य से उक्त कार्य 3.51 प्रतिशत बिलो में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों द्वारा फुलबाग नाले को कवर कर रास्ता जोडने हेतु अतिरिक्त कार्य इसी दर पर करवाया गया जिस कारण अधिक कार्य रू. 48.96 लाख तथा अतिरिक्त कार्य रू. 6.98 लाख हुआ। उक्त कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 31.86 लाख है। अतिरिक्त/अधिक कार्य होने के कारण अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 53.97 लाख की आवश्यकता है। अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 85.83 लाख अधिक कार्य (Excess Item) रू. 48.96 लाख (166.45 %) & अतिरिक्त कार्य (Extra Item) रू. 6.98 लाख (22.90 %) स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

ब– निर्धारित अवधि के पश्चात् कार्यादेश देने की स्वीकृति हेतुः–

1– खेतानाडी में रेलवे लाईन के पास नाला कवरिंग कार्यः–

खेतानाडी मे रेल्वे लाईन के पास नाला कवरिंग का कार्य की निविदा 28.03.12 को प्राप्त की गई थी। जिसमे मैसर्स भााहीन कन्स. कं. की दर न्युनतम थी। एकल निविदा प्राप्त होने के कारण स्वीकृति हेतु उच्चतर समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। सक्षम समिति की स्वीकृति की प्रकिया मे विलम्ब होने के कारण अवधि 90 दिन से अधिक हो गई। कार्यादेश देने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक को परीक्षण कर समुचित निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– राजीव नगर डी पार्क की चार दीवारी व रेलिंग का कार्यः–

इस कार्य की निविदा दिनांक 05.04.12 को प्राप्त की गई थी। इसमे मैसर्स शिवदानसिह भाटी की दर नेगोशियेशन द्वारा न्युनतम प्राप्त हुई निविदा स्वीकृति की प्रकिया मे अलग–अलग स्थानो पर विलम्ब के कारण कार्यादेश नही दिया जा सका। निर्धारित 90 दिन की अवधि पूर्ण पश्चात प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक को परीक्षण कर समुचित निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।

स– कार्यादेश की स्वीकृति के संबंध में:–

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	टेण्डर प्रिमियम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की आवश्यकता है।	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12							
1	महामन्दिर जोधपुर स्थित मानसागर मे विभिन्न कार्य	143.00	11 % Above	F-38(N-5)/11-12	155.17	12.17	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
2	शिक्षक नगर जयमल नगर शिव सागर की शेष सड़को पर सड़क का निर्माण कार्य।	120.00	7 % Above	F-38(N-10)/11-12	128.50	8.50	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
3	कृष्णा नगर रिद्धी–सिद्धी नगर राजीव गांधी कॉलोनी में सड़को का निर्माण कार्य।	141.25	7 % Above	F-38(N-14)/11-12	144.63	3.38	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
4	गुलजार नगर, बिचला बास, न्यु परिहार नगर में सड़को का निर्माण कार्य	135.00	7 % Above	F-38(N-15)/11-12	144.50	9.50	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
		539.25			**572.80**	**33.55**	
2012-13							
1	आर्य समाज लाल मैदान में सामुदायिक भवन का शेष कार्य	10.00	43.51% Above	F-15/2012-13	13.76	3.76	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
2	रामनगर वार्ड सं. 59 मं नाला कवरिंग का कार्य	15.35	9.99% Above	F-16/2012-13	16.16	0.81	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
3	कीर्ति नगर योजना में सड़क सुदृढीकरण, रोड़ सुधार (रोक कटिंग) एवं सीवर लाईन कार्य।	22.00	39% Above	F-24/2012-13	29.28	7.28	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
4	हरिजन बस्ती वार्ड नं. 54 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	10.30	43.80% Above	F-26/2012-13	14.19	3.89	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

5	जटिया समाज बगेची भदवासिया में नाला कवरिंग का कार्य।	22.35	19.99 % Above	F-28/2012-13	25.65	3.30	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
6	तिलक नगर द्वितीय में रसाईघर का निर्माण कार्य।	6.50	19.56 % Above	F-29/2012-13	7.49	0.99	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
7	नया नगर हरिजन बस्ती में पार्क की चार दीवारी एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य। (वार्ड नं. 54)	8.50	17.50 % Above	F-30/2012-13	9.58	1.08	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
8	हरिजन बस्ती मे नाले की रिपेयरिंग व कवर करने का कार्य	16.50	19.90 % Above	F-39/2012-13	18.93	2.43	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
9	राम नगर ए में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	13.00	14% Above	F-41/2012-13	14.18	1.18	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
10	रामनगर वार्ड नं. 59 में वाचनालय का निर्माण कार्य।	10.65	12.50% Above	F-43/2012-13	11.47	0.82	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
11	भदवासिया से विद्यानगर तक नाले की रिपयेरिंग व चैनल का कार्य।	42.00	19.99% Above	F-44/2012-13	48.19	6.19	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
12	ओम नगर पार्क में विभिन्न विकास कार्य।	10.00	13%Above	F-45/2012-13	10.89	0.89	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
13	गांधीपुरा बी.जे. एस. में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	25.00	17.50 % Above	F-46/2012-13	29.40	4.40	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
	तिलक नगर प्रथम मे सामुदायिक भवन का शेष कार्य	36.00	7.48 % Above	F-50/2012-13	37.21	1.21	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
14	रामसागर हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य।	12.50	5% Above	F-52 /2012-13	12.57	0.07	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

15	खटीको का बास महामंदिर सार्वजनिक पार्क की चार दीवारी व अन्य विकास कार्य। (वार्ड नं. 54)	22.00	18.99% Above	F-53/2012-13	25.04	3.04	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
16	सर्व ब्राह्मण समाज कैलाशपुरी (मुक्तिधाम) में विकास कार्य। (वार्ड नं. 64)	12.25	9 % Above	F-54/2012-13	12.79	0.54	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
17	जबेश्वर महादेव मंदिर मानसागर के पास सामुदायिक भवन (वार्ड नं. 54)	32.05	19.56% Above	F-55/2012-13	36.67	4.62	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
18	बाईसा का मंदिर मंहामंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य। (वार्ड नं. 54)	14.50	18.50% Above	F-56/2012-13	16.44	1.94	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
19	सर्व ब्राह्मण समाज कैलाशपुरी (मुक्तिधाम) में विकास कार्य। (वार्ड नं. 64)	18.00	19.99 % Above	F-61/2012-13	30.33	12.33	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
20	सोनारो के बास दूसरी पोल महामंदिर में सामुदायिक भवन का कार्य।	14.65	38.51% Above	F-63/2012-13	18.54	3.89	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
21	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सासी बस्ती महामंदिर में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य।	12.00	25% Above	F-64/2012-13	14.34	2.34	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
22	खेतानाड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	42.00	19.00% Above	F-69/2012-13	47.83	5.83	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
23	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जगजीवन राम कॉलोनी में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष एवं हॉल का निर्माण कार्य।	21.50	17.51% Above	F-70/2012-13	24.18	2.68	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
24	सांसी कॉलोनी मे महिला स्नानगृह का निर्माण कार्य	1.70	5.31 % Above	F-71/2012-13	1.79	0.09	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
25	खटीक समाज श्मशान में विकास कार्य।	31.53	18% Above	F-74/2012-13	35.58	4.05	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

26	राजीव नगर बी वार्ड नं. 59 में सड़क निर्माण कार्य।	8.80	7% Above	F-87/2012-13	9.00	0.20	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागौरी बेरा मे हौद व बाथरूम निर्माण कार्य	4.00	5.91 % Above	F-95/2012-13	4.11	0.11	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
27	सांसी बस्ती भदवासिया रोड़बेज डिपो के सामने वाचनालय का निर्माण कार्य।	6.00	9.99 % Above	101/12-13	6.31	0.31	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
28	जोग माया मंदिर मदेरणा कॉलोनी के पास स्थित सामुदायिक भवन का शेष कार्य।	4.50	41.99 % Above	102/12-13	6.11	1.61	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
29	बारली मण्डावता में सड़क निर्माण कार्य।	9.50	7.00 % Above	103/12-13	9.75	0.25	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
30	रसाला रोड ओवर ब्रिज के नीचे सडक निर्माण कार्य	18.37	9.50% Above	107/12-13	19.26	0.89	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
	राजकीय माध्यमिक विद्यालय छात्राा पूंजला मे प्रयोगशाला का निर्माण कार्य	32.00	7.91 % Above	117/12-13	33.04	1.04	
32	बारली मण्डावता में सार्वजनिक स्थल पर सामुदायिक भवन का कार्य।	12.50	5.65 % Above	119/12-13	12.64	0.14	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
33	गांधीपुरा कॉलोनी बी.जे.एस. में डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण का कार्य।	25.00	5.11 % Above	121/12-13	25.93	0.93	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
34	चैनसिंह मार्ग मोहन नगर बी. जे.एस. में सड़क निर्माण कार्य।	12.00	5.11 % Above	122/12-13	12.04	0.04	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
35	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधीपुरा में प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कार्य।	13.00	7.7 % Above	124/12-13	13.45	0.45	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

36	पुलिस थाना महामंदिर में प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कार्य।	42.00	10.99 % Above	125/12-13	44.60	2.60	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
37	मेघवाल बास महामंदिर तीसरी पोल में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	12.00	9.90 % Above	126/12-13	12.67	0.67	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
38	राजीव गांधी कॉलोनी प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण	12.50	1 % Above	127/12-13	12.62	0.12	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
38	रावरिया समाज समशान में विकास कार्य	14.50	9.99 % Above	132/12-13	15.27	0.77	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
39	वार्ड नं. 63 के घातुरावता बेरा पर सार्वजनिक हॉल निर्माण का कार्य।	10.50	9.01 % Above	138/12-13	10.95	0.45	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
40	राईका बाग अण्डर ब्रिज के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.00	10 % Above	139/12-13	18.78	0.78	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
42	राजीव गांधी कॉलोनी स्कूल में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष निर्माण कार्य।	15.00	10 % Above	141/12-13	15.80	0.80	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
43	सासी बस्ती में सामुदायिक भवन के ऊपर वाचनालय का निर्माण कार्य	15.00	35 % Above	143/12-13	19.31	4.31	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
44	पूंजला में नहर के सहारे सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य।	38.00	7.00 % Above	144/12-13	38.92	0.92	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
45	श्रीमाली समाज शिव बाड़ी में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	32.00	19.99 % Above	145/12-13	37.93	5.93	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
46	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुलबाग में कक्षा कक्ष, बरामदा एवम् अन्य विकास कार्य	20.00	19.59 % Above	146/12-13	23.46	2.96	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

47	आर्फन चिल्ड्रन हाउस रूपनगर में सामुदायिक भवन का शेष कार्य	26.60	19.98 % Above	/12-13	30.55	3.95	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
48	रूपवाटिका मे विकास कार्य	47.00	17.51 % Above	/12-13	52.86	5.86	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से अधिक हैं अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।
	योग :–	873.50			1060.10	113.00	
	महायोग :–	1412.75			1632.90	146.55	

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: विकास कार्यों के संबंध में।

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रकिया निर्धारित की कि पहले प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी की जावेगी। प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार सशर्त तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति होने की शर्त पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जावेगी। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर वित्तीय स्वीकृति आयुक्त महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर जारी की जावेगी तत्पश्चात् ही निविदा संबंधी कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 34 :: 750 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों के आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 750 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों के आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के लिए निर्णय लेने के लिए संबंधित उपायुक्त, उप नगर नियोजक संबधित तहसीलदार एवं संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की समिति बनायी गयी।

प्रस्ताव संख्या 35 :: पैनल अधिवक्ता एवं सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

बैठक में निदेशक–विधि ने अवगत कराया कि समय समय पर निम्नानुसार पैनल अधिवक्ता एवं सहायक अधिवक्ता हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	सहायक/पैनल अधिवक्ता
1.	श्री भोमाराम परिहार	पैनल अधिवक्ता

2.	श्री महेश जोशी	पैनल अधिवक्ता
3.	श्री अनिल बच्छावत	पैनल अधिवक्ता
4.	श्री सुभाष कच्छावाह	पैनल अधिवक्ता
5.	श्री श्रवणसिंह निर्वाण	पैनल अधिवक्ता
6.	श्री मलीराम पारीख	पैनल अधिवक्ता
7.	श्री चन्द्रशेखर छंगाणी	पैनल अधिवक्ता
8.	श्री जब्बर सिंह मलिक	पैनल अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट
9.	श्री पप्पू सिंघवी	पैनल अधिवक्ता
10.	श्री महेन्द्रसिंह गहलोत	पैनल अधिवक्ता
11.	श्री श्रवणकुमार बावरी	पैनल अधिवक्ता
12.	श्री मोहम्मद अलताफ	सहायक अधिवक्ता
13.	श्री कप्तान बोरावड	सहायक अधिवक्ता
14.	श्री पुखराज विश्नोई	सहायक अधिवक्ता
15.	श्री संजयराज पण्डित	सहायक अधिवक्ता
16.	श्री विकास दवे	सहायक अधिवक्ता
17.	श्री साबिर खान	सहायक अधिवक्ता
18.	श्री गुलाम मोईनुद्दीन अशरफी	सहायक अधिवक्ता
19.	श्री वासुदेव गौड	सहायक अधिवक्ता
20.	श्री कमलेश जोशी	सहायक अधिवक्ता
21.	श्री अनिल जोशी	सहायक अधिवक्ता

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 11 में अंकित आवेदकों को पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2012/DCE/1802-IV/2034-73 दिनांक :: 17 अगस्त, 2012

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

1034-43

12. निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर – वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. .....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

2034-73

17/8/12

परिशिष्ट–1

दिनांक 30 जुलाई, 2012 को प्रातः 11.00 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री रविराय वर्मा, उप नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर
2.	श्री एम.एस. रावल, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री महेन्द्रसिंह यादव, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री भैरूसिंह, सहायक पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
7.	श्री ओ.पी. बैरवा, प्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
8.	श्री यू.एस. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9.	श्री अमिताभ देवडा, सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10.	श्री ओ.पी. पारिक, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11.	डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री भागीरथ विश्नोई, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री महेन्द्रसिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री एच.एल. अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर